डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवज़ीन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2002—चैत्र 29, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2002

क्रमांक 455/83/2001/1/5.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2002 के लिये रायपुर शहर में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों/संस्थाओं के लिये निम्नांकित दिन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) के दिन घोषित किये जाते हैं :—

1.	गणेश चतुर्थी	मंगलवार	10 सितम्बर, 2002
2.	दुर्गा नवमी (दशहरा)	सोमवार	14 अक्टूबर, 2002
3.	अन्नकूट/गोवर्धन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन)	मंगलवार	05 नवम्बर, 2002

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002

क्रमांक 789/709/सा.प्र.वि./2002/स्था./1/2.—डॉ. इन्दिरा मिश्र, भा. प्र. से. (1969), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा जाता है.

(2) श्री उजागर सिंह, भा. प्र. से. (के. एल. 1981), जिनकी सेवायें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियम 1954 के नियम 6(1) के अंतर्गत केरल सरकार संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये सौंपी गई है, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, छत्तीसगढ़ पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री डी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. (1982), सचिव, मुख्यमंत्री, सचिव, वित्त एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आयुक्त, आबकारी, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक तथा पदेन सचिव, वित्त एवं योजना तथा सचिव, मुख्यमंत्री पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं विमानन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(5) श्रीमती रेणु पिल्ले, भा. प्र. से. (1991), संयुक्त सचिव, गृह विभाग को संयुक्त सचिव, गृह के साथ-साथ संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

(6) श्री राजकमल, भा. प्र. से. (1994), कलेक्टर, कोरबा को दिनांक 8-4-2002 से 7-4-2003 तक एक वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2002

क्रमांक 865/276/2002/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/67/2001-ए.आई.एस. (1), दिनांक 16 जनवरी, 2002 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 के नियम-6 उप नियम (1) के अंतर्गत डॉ. एच. एल. प्रजापति, भा. प्र. से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर, आयुक्त आबकारी एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से मध्यप्रदेश राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है.

2. डॉ. एच. एल. प्रजापति, भा. प्र. से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर, आयुक्त आबकारी एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को मध्यप्रदेश राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक 892/727/2002/1/2.—राज्य शासन द्वारा डॉ. एस. के. त्रिवेदी, भा. प्र. से. (1985), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आगामी आदेश तक सचिव, आयाकट विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

2. डॉ. एस. के. त्रिवेदी द्वारा सचिव, आयाकट विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. आयाकट विभाग के कार्य से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2002

क्रमांक 440/2002/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 26-3-2002 से 6-4-2002 तक 12 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 7-4-2002 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को पुनः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. श्री गुप्ता के अवकाश अवधि में श्री एडवर्ड तिग्गा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ अवर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्य भी संपादित करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च, 2002

क्रमांक 807/सा. प्र. वि./2002/2/स्था.—श्री व्ही. के. कपूर, आयुक्त, कोष एवं लेखा विभाग को दिनांक 8-4-2002 से 12-4-2002 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 7-4-2002 एवं 13-14 अप्रैल 2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर को आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष एवं लेखा के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री कपूर को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक 883/795/सा.प्र.वि./2002/1/2.—डॉ. इन्दिरा मिश्र, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन को दिनांक 1-4-2002 से 10-4-2002 तक (10 दिनों) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 31-3-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल से लौटने पर डॉ. इन्दिरा मिश्र को आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में डॉ. इन्दिरा मिश्र को अवकाश वेतन व भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. इन्दिरा मिश्र अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्यरत रहती.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक 885/795/2002/सा. प्र. वि./स्था/2.—श्री एस. के. मिश्र, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1-4-2002 से 10-4-2002 तक 10 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाश दिनांक 31-3-2002 को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र को आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव के पद पर वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री मिश्र को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री एस. के. मिश्र के अवकाश की अवधि में उसका कार्य श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक 3695/गृह/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला मुख्यालय/थाने से अत्यधिक दूरी, बरसात में आवागमन अवरूद्ध होने के कारण जन-सुविधा की दृष्टि से कॉलम नं. 2 में उल्लेखित पुलिस चौकी को कॉलम नं. 3 में उल्लेखित थाना/पुलिस जिला में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र.	वह क्षेत्र जिसमें से पुलिस चौकी अपवर्जित की जा रही है.	उस पुलिस थाना/जिले का नाम जिसमें पुलिस चौकी सम्मिलित की जा रही है
(1)	(2)	(3)
1.	पुलिस चौकी रघुनाथपुर, थाना रमकोला, जिला सरगुजा.	थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर.

(1)	(2)	(3)
2.	पुलिस चौकी बलंगी, थाना चांदनी, जिला सरगुजा.	थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक 3697/गृह/2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा की दृष्टि से थाना राजपुर पुलिस जिला बलरामपुर, को पुलिस जिला सरगुजा में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2002

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों की सेवा शर्तें.

क्रमांक 1115/ऊ. वि./विकअ/2002.—विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) के कंडिका 57 उपधारा (i) कंडिका 19 की उपधारा (ii) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य शासन "राज्य विद्युत नियामक आयोग" के सदस्यों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु निम्न नियम परिभाषित करता है. ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों हेतु वेतन, भत्ते और सेवा शर्त नियम 2002" के नाम से जाने जावेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील माने जावेंगे.
अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तें :—

(1) वेतन व भत्ते :—

राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को देय वेतन भत्ते निम्नानुसार होंगे :—

(अ) अध्यक्ष एवं सदस्य का वेतन :—

अध्यक्ष को रुपये 26 हजार प्रतिमाह नियत वेतन देय होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेंगे.

सदस्य/सदस्यों को वेतनमान 22400-525-24500 होगा व अन्य नियमानुसार देय भत्ते पृथक से दिये जायेंगे.

यदि अध्यक्ष, तथा सदस्य पूर्व में भारत सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं पूर्व सेवा के लिये पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उन्हें अंतिम वेतन से पेंशन की राशि कम कर अथवा अध्यक्ष/सदस्य के वेतनमान से पेंशन की राशि कम करते हुए उनमें से जो भी अधिक हो वेतन निर्धारित किया जायेगा.

(ब) महंगाई भत्ता एवं शहर क्षतिपूर्ति भत्ता :—

अध्यक्ष व सदस्य को महंगाई भत्ता एवं शहर क्षतिपूर्ति भत्ता राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को देय भत्ते के अनुसार होगा.

2. आवास की सुविधा :—

अध्यक्ष व सदस्य को आवास की सुविधा, राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को प्राप्त आवास सुविधा के अनुरूप होगी.

यदि अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों द्वारा उनको आवंटित आवास का उपयोग न करने पर या उनको ऊपर वर्णित आवास उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में या अपने स्वयं के मकान में रहने पर उन्हें देय मकान भत्ता की पात्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी.

3. वाहन की सुविधा :—

अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को वाहन की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगा.

4. अध्यक्ष व सदस्य को देय यात्रा भत्ता :—

अध्यक्ष व सदस्य को प्रदेश के अंदर या बाहर यात्रा हेतु या स्थानान्तरण पर (जिसमें आयोग में नियुक्ति पर कार्य ग्रहण तथा कार्य समाप्ति पर कार्य मुक्त होने की दशा में गृह नगर से की गई यात्रा सम्मिलित है) के दौरान उन सभी यात्रा भत्तों व दैनिक भत्ते व समान को ले जाने हेतु किराया, या अन्य किसी समतुल्य विषयक, भुगतान की पात्रता उसी दर व उसी मात्रा के अनुरूप होगी जिस तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी को छत्तीसगढ़ राज्य में उपरोक्त विषयक भुगतान की पात्रता है. विदेश यात्रा आवश्यकतानुसार राज्य शासन/केन्द्र सरकार की सक्षम स्वीकृति पश्चात् कर सकेंगे.

5. अवकाश यात्रा सुविधा :—

अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को अवकाश यात्रा सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी पर लागू होने वाले नियम व पात्रता के अनुरूप होगी.

6. **अवकाश :—**

(अ) पात्रता :—अर्जित अवकाश की पात्रता भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारी के अनुरूप होगी.

(ब) किसी भी समय अध्यक्ष व सदस्य को उनके अवकाश खाते में शेष रहे अवकाश का 50 प्रतिशत नगदीकरण करने की पात्रता होगी.

(स) अवकाश स्वीकृत करने के लिये अधिकृत सक्षम अधिकारी :—अध्यक्ष के लिये अवकाश स्वीकृति राज्य के ऊर्जा मंत्री द्वारा की जावेगी एवं सदस्य/सदस्यों के लिये अवकाश की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा की जावेगी.

7. **भविष्य निधि :—**
अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को उनकी सहमति के आधार पर मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि अधिनियम-1955 के अनुसार स्थापित भविष्य निधि में अंशदान की पात्रता होगी.

8. **चिकित्सा सुविधा :—**
अध्यक्ष तथा सदस्य/सदस्यों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा व अस्पताल की सुविधा भारतीय प्रशासनिक सेवा में समकक्ष वेतन वाले अधिकारी को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी.

9. **पेंशन व ग्रेच्युटी :—**
अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों को पेंशन व ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं होगी.

10. **दूरभाष व अतिथि सत्कार सुविधा :—**
अध्यक्ष व सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा के समकक्ष अधिकारियों को प्राप्त सुविधा के अनुरूप होगी.

11. **अन्य सेवा शर्तें :—**
अध्यक्ष व सदस्य/सदस्यों हेतु अन्य सेवा शर्तें जिनका लेख उपरोक्त सेवा शर्तों में नहीं है का निर्धारण राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के समतुल्य अधिकारियों को प्राप्त होने वाली सुविधा के अनुरूप होगी.

12. **अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण :—**
आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कार्य ग्रहण कराने के पूर्व, संलग्न शपथ पत्र "अ" के अनुसार गोपनीयता रखने हेतु क्रमशः राज्य के ऊर्जा मंत्री तथा अध्यक्ष के समक्ष शपथ ग्रहण व हस्ताक्षरित करना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

गोपनीयता के शपथ का प्रारूप

मैं . . . . ईश्वर की शपथ लेकर/सत्य निष्ठा से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अथवा उसके अलावा कोई भी दायित्व समयक निर्वाहन हेतु मेरे विचार में लाया जावेगा उसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समक्ष संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा.

संविधान के राजनिष्ठा का प्रतिज्ञान या शपथ का प्रारूप

मैं . . . . छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति पर ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा का निर्वाहन करूंगा. मैं भारत के प्रभुत्व और सत्य निष्ठा का समर्थन करूंगा. मैं मेरी पूर्ण योग्यता, ज्ञान एवं निर्णय से बिना किसी भय अथवा पक्षपात, दबाव अथवा वैमन्सयता से अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन करूंगा और मैं संविधान और मातृभूमि की विधि का पालन करूंगा.

दिनांक अध्यक्ष/सदस्य

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक 19/44/ऊर्जा वि./2002.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1266/ऊर्जा विभाग 2001 रायपुर दिनांक 9-7-2001 द्वारा श्री गोपाल तिवारी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में प्रभारी अध्यक्ष के रूप में अधिसूचना क्रमांक 104/ऊर्जा विभाग/2001 दिनांक 9-3-2001 से एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी. यह अवधि 8 मार्च 2002 को समाप्त हो रही है, को राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गोपाल तिवारी को एक वर्ष की अवधि हेतु अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के पद पर पुनः संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

2. सेवा शर्तें यथावत पूर्ववत रहेगी.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2002

क्रमांक 23/47/ऊर्जा/2002.—श्री ए. एम. के. भरोस, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर का सचिव नियुक्त किया जाता है.

2. श्री के. एस. अरोरा, मुख्य अभियन्ता, वर्तमान में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, ऊर्जा विभाग (तकनीकी शाखा) मंत्रालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य अभियंता (वाणिज्य) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

3. श्री एम. के. श्रोती, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त ऊर्जा विभाग (तकनीकी शाखा) मंत्रालय, रायपुर में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 1056/152/ऊ./2000.—राज्य शासन, धारा 5, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) सहपठित धारा 58 (4) म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्द्वारा श्री बी. एस. बनाफर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त,

सदस्य (उत्पादन-परियोजना), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, रायपुर नियुक्त करता है.

नियुक्ति की शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002

क्रमांक 1067/1082/ज.सं.वि./2002.—मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए)/4/2001/पी/31 दिनांक 7 मार्च 2002 द्वारा अधीक्षण यंत्री, पद पर पदोन्नत श्री सतीश चन्द्र अवस्थी, यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी, महानदी परियोजना, रायपुर को राज्य शासन एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) के पद पर महानदी परियोजना, रायपुर में पदस्थ करता है.

2. श्री अवस्थी की पदोन्नति इस शर्त पर मान्य की जाती है कि मध्यप्रदेश से आधिक्य में आवंटित अधीक्षण यंत्रियों के आने पर इन्हें पदावनत किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बा रेड्डी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2002

क्रमांक एफ 1-8/52/ग्रामो./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा-4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8/52/ग्रामो./2001, दिनांक 21-12-2001 में सरल क्रमांक-3 पर अंकित कुमारी एस. कोटेश्वरी, जिला ग्रामोद्योग विकास मण्डल नया मुन्डा जगलदपुर के स्थान पर श्रीमती हेमलता साहू, अभिषेक भवन, वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक एफ 787/वा. उ./2002.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 80/1929/2001/सा.प्र.वि./2 दिनांक 11-1-2002 द्वारा श्री एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ का स्थानान्तरण "आईफैड" के अंतर्गत आदिवासी विकास समिति, स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर बिलासपुर किया गया है.

2. श्री बेहार के स्थान पर पदस्थ श्री एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अपने कार्यों के साथ-साथ आगामी आदेश पर्यन्त रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन करेंगे. श्री तिवारी को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा-4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58 (1) के तहत रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रदत्त होंगी.

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. राघवन, प्रमुख सचिव.

वन एवं संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2002

क्रमांक 1628/व. सं./2002.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1/2001/1-8 दिनांक 12-2-2002 के परिपेक्ष्य में श्री बी. एल. गुप्ता पदेन विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी वन एवं संस्कृति विभाग को आज दिनांक 19-3-2002 अपरान्ह से भारमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-7-6/व.सं./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा जंगली भैंसा (ब्यूबेलस ब्यूबेलिस) को राज्य पशु तथा पहाड़ी मैना (ग्रेकुला रिलिजिओसा) को राज्य पक्षी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-7-6/व.सं./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में राज्य पशु तथा राज्य पक्षी घोषित करने की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव.

Raipur, the 8th April 2002

No. F-7-6/F.C./2002.—State Government hereby declares "Wild Buffalo" (Bubalus bubalis) as State Animal and "Hill Maina" (Gracula religiosa) as State Bird.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2002

क्रमांक एफ 6-12/2002/वा. कर (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जेठराम मंडावी, आबकारी उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 5500-9000 में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाकर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन (बिलासपुर गोदाम) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है.

2. उक्त तदर्थ पदोन्नति नियमानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है एवं तदर्थ पदोन्नति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं.

3. तदर्थ पदोन्नति की अवधि में वित्त विभाग के निर्देशों के तहत नियमानुसार वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी, किन्तु जब तक नियुक्ति नियमित नहीं हो जाती, तब तक संबंधित अधिकारी को तदर्थ रूप से पदोन्नति के पद पर किसी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

4. उक्त तदर्थ पदोन्नति मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय दिनांक 17-7-2001 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में लंबित अपील पर निर्णय के अध्याधीन होगी.

5. तदर्थ पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है.

6. संबंधित अधिकारी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब कार्यभार सौंपकर बिना किसी प्रकार के अवकाश का लाभ लिये, अपना पदभार तत्काल ग्रहण करें एवं उसकी सूचना विभाग को भी दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002

क्रमांक 651/662/40/संस/आ.पर्या./2002.—भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक का. आ. 630 (अ) दिनांक 20-7-1998 के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 की कंडिका 9 के अंतर्गत राज्य शासन को एक सलाहकार समिति का गठन करना है.

राज्य शासन जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 की कंडिका 9 में दिये निर्देशानुसार निम्नानुसार सलाहकार समिति का गठन करता है :—

1.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
2.	पशु चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा विज्ञान.	संचालक, पशु चिकित्सा विभाग.
3.	पर्यावरणीय प्रबंधन	उप-सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग.
4.	नगरीय प्रशासन	संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग.
5.	गैर सरकारी संगठन	छत्तीसगढ़ मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष.
6.	प्रतिनिधि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर.

उक्त समिति राज्य सरकार और विहित प्राधिकरण को इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के बारे में समय-समय पर सलाह देगी. आवश्यकतानुसार इस समिति में अन्य सदस्यों को सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अनुमोदन पश्चात् सम्मिलित किया जा सकेगा. मुख्य अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर इस समिति के संयोजक होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2002

क्रमांक 1094/5236/लो. नि./2002.—टोलटेक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जो कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है, की धारा 2 में सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दर्शाये नवनिर्मित पुल जो जिला दुर्ग के लोक निर्माण विभाग बालोद संभाग बालोद के अंतर्गत है, पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23/4/2000/सा-19 भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करता है.

क्रमांक (1)	पुल का नाम (2)	पुल निर्माण लागत (3)
1.	जुझारा पुल-लोहारा बालोद मार्ग के कि.मी. 49/2 पर निर्मित.	58.82 लाख

राज्य शासन यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-31-19/84/जी-19/720 दिनांक 12-6-85 की तृतीय अनुसूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-23-2-94/जी-19 दिनांक 9-5-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को पथकर देनगी से छूट रहेगी.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 4th March 2002

No. 1094/5236/P.W.D./2002.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby levies Toll-Taxes on following bridge situated in Durg district under P.W.D. division, Balod.

S.No. (1)	Name of Bridge (2)	Toal Cost of Construction (3)
1.	ZUZHARA BRIDGE-IN Km. 49/2 on Lohara Balod Road.	Rs. 58.82 Lakhs

at the rates specified in the second schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal dated 27-1-2000 and declares that the vehicles, specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls. This order will be enforced with effect from the date of its publication.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. चौदहा, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 919/नप्र./2002.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432 (अ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, राज्य की संबंधित नगर पालिक निगम के सीमा के भीतर गंदे, कुड़ा-करकट, मल, मृत पशुओं तथा घृणात्मक पदार्थों के निपटान हेतु निम्नलिखित आदर्श उपविधियां बनती हैं.

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(एक) ये उपविधियां कूड़ा-करकट, गंदा, मल, मृत पशुओं तथा घृणात्पादक पदार्थों का निपटान आदर्श उपविधियां सन् 2002 कहलायेगी.

(दो) ये उपविधियां छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(तीन) इस उपविधि में वर्णित विषयों संबंधी प्रचलित समस्त उपविधियां, परिपत्र इत्यादि, इन उपविधियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख से निरस्त समझी जायेगी.

परन्तु इस प्रकार जारी आदेश और प्रारंभ की गयी कार्यवाही इन उपविधियों और आदेशों के अधीन किये गये और जारी किये गये समझे जायेंगे.

2. संबंधित नगर पालिक निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कूड़ा-करकट, धूल, किसी भी प्रकार का पॉलीथीन, पॉउच के टुकड़े, कागज के टुकड़े, कागज तथा हार्ड बोर्ड के टुकड़े, लकड़ी/धातु के बने कार्टून और पालतू पशुओं के कचरे तथा घृणात्पादक पदार्थ को अस्थायी संग्रहण के लिए इस प्रयोजन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कूड़ेदान के अतिरिक्त किसी सड़क नाली अथवा अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालेगा.

3. संबंधित निगम क्षेत्र के शहर/नगर के समस्त आवासी परिसर/मकान के स्वामी के लिए यह अनिवार्य है कि निगम द्वारा निर्मित एवं संधारित भूमिगत नालियों में स्वयं की सीवर कनेक्शन जोड़ने हेतु अनुमति प्राप्त करेगा.

4. (एक) निगम क्षेत्र के प्रत्येक आवासी परिसर और मकान के निवासी और स्वामी को यह आवश्यक होगा कि वह कम से कम 1 घनफुट समाई की एक या अधिक ढक्कनदार कचरा पेटी, कुड़ा-करकट के संग्रहण के लिए प्रबंध करेगा.

(दो) प्रत्येक वाणिज्यिक प्रक्षेत्र के स्वामी, फैक्टरी अथवा कारखाना के संचालन के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 2 घनफुट या अधिक आयतन की एक या अधिक उचित ढक्कनदार कचरा पेटी, कचरा संग्रहण के लिए परिसर के लिए सहज दृश्य स्थल पर प्रबंध करेगा, तरल एवं ठोस कचरे के लिए कचरे पेटी में पृथक भाग हो. प्रत्येक संबंधित वाणिज्यिक प्रक्षेत्र के कारखाना और कर्मशाला के स्वामी/ निवासी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नगर पालिक निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट सार्वजनिक कचरा पेटी या विनिर्दिष्ट स्थान में ऐसे अपशिष्ट का अंतिम निपटान करे.

5. नगर निगम द्वारा प्रत्येक कचरा पेटी में दो भाग किये जायेंगे, जिसमें से एक भाग नशवान कचरा के लिए निर्दिष्ट होगा, जबकि दूसरा भाग प्लास्टिक आदि जैसे अनाशवान कचरा के लिए होगा. प्रत्येक मकान परिसर के निवासी का यह दायित्व होगा कि वह उनके द्वारा जनित कचरों को उपरोक्त दो भागों में बांटकर ही नगर पालिक निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा पेटियों में डालेगा.

6. कोई भी व्यक्ति कवेलू, घरेलु उद्यानिकी के वृक्षों की शाखाओं, भवन निर्माण अथवा भवन तोड़ने के फलस्वरूप निकला मलमा, सामग्री यथा ईट, पत्थर, रेत, गिट्टी, मिट्टी, टूटे खपरे तथा प्लास्टिक पत्री आदि सार्वजनिक स्थानों में या नालियों में नहीं फेंकेगा. ऐसे सामग्री नगर निगम के आयुक्त अथवा मेयर-इन-काउन्सिल की अनुमति से निर्धारित स्थान पर फेंकेगा, अथवा निगम को निर्धारित राशि का भुगतान कर लैण्डफील स्थानों में डाल सकेगा.

7. कोई भी व्यक्ति लोक मार्ग/गली के अग्रमुख किसी भवन की दीवारों पर तथा बाहरी आहाती अथवा मकान/परिसर में गोबर के कण्डे नहीं सुखायेंगे.

8. कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा किसी सार्वजनिक शौचालय के आसपास अथवा उसके बाहर अथवा उसके किसी हिस्से में सिवाय उस खाई में जो इस आशय से बनाई गई हो शौच नहीं करेगा.

9. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक मूत्रालय के परिसर का उपयोग उस आशय के अतिरिक्त जिसके लिए उसका प्रबंध किया गया है, अन्य आशय के लिए नहीं करेगा.

10. जब कभी कोई पशु किन्हीं कारणों से मर जाता है, विक्रय हेतु वध करता है, अथवा धार्मिक अनुष्ठान के लिए बली चढ़ाता है उस पशु का मालिक अथवा धारक स्वास्थ्य अधिकारी को 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना देगा.

11. किसी भी व्यक्ति को मृत पशु के अंग काटने या किसी प्रकार के विरूप करने की अनुमति नहीं होगी यह प्रतिबंध उन प्रकरणों पर लागू नहीं होगी जहां स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित पशुओं के वध करने व बेचने की अनुमति प्रदान किया गया हो.

12. स्वामी अथवा आधिपत्य रखने वाले का मृत पशु के शव पर उसके उपान्त से हटाये जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार स्वत्व नहीं रहेगा तथा वह नगरपालिका निगम की संपत्ति मानी जाकर उसका निराकरण स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार उस रीति से और उस स्थान पर जैसे कि वह उचित समझे किया जायेगा.

13. सूचना भेजने के पश्चात्, नगर निगम के कर्मचारी के आने पर स्वामी अथवा उसका आधिपत्य रखने वाले का कर्त्तव्य होगा कि वह मृत पशु को बिना किसी रूकावट एवं विरोध के कर्मचारियों को तत्काल सौंप देगा.

14. यदि कोई व्यक्ति मृत पशु को स्वयं दफनाना चाहता है तो वह निगम द्वारा निर्धारित स्थान में कम से कम 8 फुट गहरा गड्ढा खोदकर दफनायेगा.

15. मृत पशु को दफनाने के लिए निगम द्वारा निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान में दफनाने की अनुमति नहीं होगी.

16. मृत पशु के निराकरण के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को मेयर-इन काउन्सिल द्वारा निर्धारित शुल्क अग्रिम रूप से स्वयं जमा करना होगा.

17. कोई भी अगर इस उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तब वह रु. 100/- के अर्थदंड से दंडित हो सकेगा तथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन रु. 50/- की दर से अर्थ दंड लिया जायेगा जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अध्याय 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वसूलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 919/नप्र./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 919 दिनांक 1-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

Raipur, the 1st March 2002

No. 919/UAD/2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of 432 A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),, the State Government hereby makes the following model Byelaws for disposal of filth, rubbish, sewage, dead animals and offensive matters within the limits of the concerned Municipal Corporation of the State.

Rules

1. **Short Title and Commencement :—**

(i) These byelaws may be called Disposal of Rubbish, Filth, Sewage, Dead animlas and offensive matters model byelaws 2002.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Chhattisgarh Gazette.

(iii) Any byelaws and orders being inforce will superseded from the date of final publication of these byelaws in Chhattisgarh Gazette.

Provided that orders issued and proceedings initiated, under the outgoing byelaws and orders, will be treated as to have been given and issued under these byelaws.

2. Within the limits of the concerned Municipal Corporation, no person will keep garbage, dust, any type of polythene. polythene pouch, piece of any type of pouch, piece of papers and hard boards, wodden/metal made cartons, refuse of domestic animlas and offensive matters, for temporary collection on any roadside, in drains and at public places, except into the public dustbins provided by the Municipal Corporation for this purpose.

3. It will be compulsory for all the owners of a residential premises/house to obtain sewer connection in case underground drainage is constructed and maintained by the Municipal Corporation of the concerned city/town.

4. (i) It will be obligatory for all the dwellers and owners of a residential premises/house to keep along their premises one or more covered dustbins of atleast 1 cuft. diameter for temporary collection of grabage etc.

(ii) It will also be obligatory for all the owners of commercial complex, factory and workshop to keep one or more covered dustbins of atleast 2 cuft. diameter, at a visible place, for temporary collection of garbage etc. These dustbins will provid two separate parts, one part for liquied and solid wastes and other for garbage and rubbish etc. It will be duty of the owner/dweller of the concerned commercial complex, factory and workshop to finally dispose of these waste into the public dustbins provided by the Municipal Corporation or at the place fixed for this purpose.

5. All the public dustbin provided by the Municipal Corporation will contain two parts, one part of disposable garbage and rubbish and the other for undisposable items like polythene etc. It will be obligatory for all the dwellers of a house, premised to finally dispose of the garbage and rubbish produced by them into the public dustbins separetly, according to the provisions made therein.

6. No person will dispose of 'the piece of country-tiles, tree branches and leaves of kitchen garden trees, building materials i.e. bricks, stones, sand, metal (Gitti), mud different type of tiles and plastic sheets etc. in a public places. in drains and in public dustbin. This type of materials can only be dispose of by order of the Municipal Commissioner at the specified place or at the landfill on payment of an amount determied by the Mayor-in-Council.

7. No person is allowed to dry the refuse of domestic animals (Gobar etc.) on the forehead of a public road/street or on the outer walls of his house.

8. No person is allowed to use the outside and surroundings of a public latrine to descharge refuse except into the pits kept for this purpose.

9. No person is allowed to use the premises of a public urinal and other than the urinal purpose.

10. Whenever any animals, in the charge of any person, dies otherwise than by slaughter for sale or a religious purpose, such person shall within twenty four hours inform the office of the Health Officer.

11. No person is allowed to cut of any part or deface the carcass. This restriction is not applicable in the case of animals certified and permitted by the Health Officer to be slaughtered for sale.

12. In-charge or owner or a dead animal will have no right on the body when it is removed from his premises or place where died and it will be deemed to be the property of Municipal Corporation and will be disposed off in accordance with the orders of the Health Officer in such a manner and at such a place as he deems fit.

13. After informing the Municipal Corporation and or arrival of Municipal staff it will be binding on the owner/incharge of the dead animal to handover the carcass immmediately to them without any hindrance or obstruction.

14. In case any person desires to dispose off the carcass himself at a place specified by the Municipal Corporation, atleast 8 feet deep grave must be dug out for this purpose.

15. For burial of carcass no other place will be allowed in the Municiapal limits other than the place specified by the Municipal Corporation.

16. For disposal of dead animal the informer will deposit in advance the fees determined by the Mayor-in-Council of this purpose.

17. Whoever contravenes any of the provisions of this byelaws shall be punishable with fine of Rs. 100/- and in case the disobedience repeatedly continues, a fine of Rs. 50/- per day will be imposed. The fine, so imposed, will be recovered in accordance with the provisions of Chapter XI of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIVEK DHAND, Secretary.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 599/4531/2001/स्वा.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 164/4531/2001/स्वा., दिनांक 14-1-2002 की कंडिका-2 (2) के प्रावधानानुसार राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में निम्नानुसार अशासकीय सदस्यों का मनोनयन करती है :—

1. डॉ. राजेन्द्र सिंघानिया
सिंघानिया भवन, सुभाष रोड,
तेलघानी नाका के पास
वार्ड नं. 5, मकान नं. 24
रायपुर.

2. डॉ. जागेश्वर महतो
मकान नं. 2/ए, सेक्टर-10
रोड नं. 37, स्टील क्लब चौंक के पास
भिलाई.

3. डॉ. अशोक त्रिवेदी
मकान नं. 59/10
श्रेयांश काम्पलेक्स
मेन रोड, भिलाई.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2002

क्रमांक 656/1506/2001/स्वा.—खाद्य. अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 की संख्या-37) की धारा 9 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, विहित अर्हताएं रखने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत निम्नलिखित खाद्य निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 1 नवम्बर 2000 से खाद्य निरीक्षक का कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त करती है तथा उन्हें संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र सम्मिलित है, समनुदेशित करती है, जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे :—

अनुक्रमांक	खाद्य निरीक्षक का नाम
1.	श्री पी. आई. सबूर
2.	श्री एम. एल. गोयल
3.	श्री जे. पी. एस. गौर
4.	श्री एस. के. कौशिक
5.	श्री जे. सी. वर्मा
6.	श्री के. एन. मिश्रा
7.	श्री आर. आर. श्रीवास्तव
8.	श्री एस. बी. मिश्रा
9.	श्री व्ही. के. जैन
10.	श्री एम. एस. कुरैशी
11.	श्री पी. डी. पांडे
12.	श्री आर. के. पांडे
13.	श्री के. एस. तोमर
14.	श्री आर. के. भार्गव
15.	श्री आर. एस. वर्मा
16.	श्री आर. एस. दिवाकर
17.	श्री एच. सी. पान्जी
18.	श्री जी. एस. भदौरिया
19.	श्री बी. आर. पवार
20.	श्री आर. एस. चौरसिया

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2002

क्रमांक 657/1506/2001/स्वा.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 656/1506/2001/स्वा. दिनांक 14-2-2002 अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 14th February 2002

No. 656/1506/2001/H.—In exercise of the powers conferred by Subsection (1) of Section 9 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954), the State Government, hereby, appoint the following Food Inspectors working under Food and Drugs Administration Chhattisgarh state having the prescribed qualification for performing the duies of Food Inspectors for the purpose of the said Act with effect from 1st November 2000 and assign to them all the local areas within the whole of the state of Chhattisgarh included are Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayats, Notified Areas, Janpad Panchayats and Gram Panchayat areas and in which, they shall exercise their powers :—

S. No.	Name of Food Inspectors
1.	Shri P. I. Saboor
2.	Shri M. L. Goyal
3.	Shri J.P.S. Gaur
4.	Shri S.K. Kaushik
5.	Shri J. C. Verma
6.	Shri K. N. Mishra
7.	Shri R. R. Shrivastava
8.	Shri S. B. Mishra
9.	Shri V. K. Jain
10.	Shri M. S. Qureshi
11.	Shri P. D. Pandey
12.	Shri R. K. Pandey
13.	Shri K. S. Tomar
14.	Shri R. K. Bhargava
15.	Shri R. S. Verma
16.	Shri R. S. Diwakar
17.	Shri H. C. Panji
18.	Shri G. S. Bhadoria
19.	Shri B. R. Pawar
20.	Shri R. S. Chaurasia

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 15 मार्च 2002

क्रमांक 1648/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	छोटेसाल्ही	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु.

कोरिया, दिनांक 15 मार्च 2002

क्रमांक1648/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में अधिनियम की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बचरा	2.26	कार्यपालन यंत्री	सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर में अर्जित.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 फरवरी 2002

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	कोसा प.ह.नं.-16	1.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	भनसुली माइनर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 30 मार्च 2002

क्रमांक 1164/प्रा. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	रांका प.ह.नं.-18	3.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	शिवनाथ उद्वहन सिंचाई योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय, साजा में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 03/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सल्का प.ह.नं.-7	4.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ.(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

क्रमांक 04/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प.ह.नं.-7	4.97	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ.(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

क्रमांक 05/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कुरूवार प.ह.नं.-3	6.82	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेन्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ.(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

क्रमांक 07/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मटसगरा	0.24	कार्यपालन यंत्री, लो. नि.वि. संभाग क्र.1, बिलासपुर (छ.ग.)	सड़क निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय कोटा में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 36/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	जाटादेवरी	3.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 37/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सोनबचखार	13.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शीर्ष कार्य एवं डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 38/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	हर्राडीह	11.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 39/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बारीउमराव	0.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के बारी-उमराव शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 40/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	हर्राडीह	2.41	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर निर्माण कार्य.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 41/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	टंगियामार	6.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 42/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	गांजन	0.91	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय योजना के गांजन शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक 43/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सकोला	4.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेन्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय योजना के कंचनडीह शाखा नहर निर्माण कार्य.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002

क्रमांक 02/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	बीजापुर	पुसनार	0.600	कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, हीरक परि.केम्प कारली गीदम.	राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 मार्च 2002

क्रमांक क/20/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	बीजापुर	पापनपाल	9.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	जलाशय हेतु नहर निर्माण

दन्तेवाड़ा, दिनांक 23 मार्च 2002

क्रमांक क/21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंतेवाड़ा	बीजापुर	फरसेगढ़/मंडेम	2.307	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा.	जलाशय हेतु नहर निर्माण योजना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/अ-82/99-2000.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	चुराभांठा	1.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	भेंड़ीकोना जलाशय योजनान्तर्गत वांयी तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी (सक्ती) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	हरदी	0.98	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर- चांपा (छ.ग.).	हरदीटार बांध जलाशय योजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बोकरेल	1.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जांजगीर- चांपा (छ.ग.).	कर्रापाली जलाशय डुबान

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक वा-1/अविअ/भू-अर्जन/44/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	कदलीमुड़ा	18.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल इंडेन्शन योजना के नहर निर्माण कार्य के लिये.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2002

क्रमांक वा-1/अविअ/भू-अर्जन/45/अ-82/93-94.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	सितलीजॉर	12.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गरियाबंद.	उरमाल इंडेन्शन योजना के नहर निर्माण कार्य के लिये.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	चिकनीडीह	0.756	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 24 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलौनीकला	0.856	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 23 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	गिरवानी	1.796	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 21 का निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/26/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलौनीकला	1.226	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 21 का निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/27/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोज़न के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलौनीखुर्द	2.168	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 21 का निर्माण कार्य हेतु.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलिहा प.ह.नं. 13	0.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 21का निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बैजनाथपुर	5.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	बैजनाथपुर जलाशय डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्रमांक 2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	गिरजापुर	1.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर.	गिरजापुर जलाशय डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 मार्च 2002

रा. प्र. क्र. 13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	धौरपुर	करौली	0.096	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर.	करौली टेल माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 23 मार्च 2002

रा. प्र. क्र. 14/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	धौरपुर	करौली	0.068	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर.	करौली उद्वहन जलाशय अंतर्गत करौली माइनर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सोनपुरकलां	0.117	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. (भ/स), अंबिकापुर.	सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सायर	26.806	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-1, अंबिकापुर.	सायर जलाशय योजना डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 17/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सलबा	0.666	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर.	डांड़गांव जलाशय योजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 18/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	कुसू	4.565	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्रमांक-1, अंबिकापुर.	पुटा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

रा. प्र. क्र. 19/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	डांड़गांव	4.045	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अंबिकापुर.	डांड़गांव जलाशय योजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक 540/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	रामानुजगंज	0.10 डि.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-2, अंबिकापुर.	रामानुजगंज-वाड्रफनगर मार्ग में पड़ने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 28/अ-82/2002-2003/1130.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	आस्ता	5.428	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.).	सरडीह जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 34/अ-82/2002-2000/1133.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	डडगांव सरसोता	3.610	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.).	डडगांव तालाब योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 37/अ-82/2002-2003/1136.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सरडीह	3.386	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर (छ.ग.).	सरडीह जलाशय योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	मल्दा प.ह.नं. 31	1.436	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	सोडेकेला जलाशय के स्पील चैनल निर्माण बाबत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. ध्रुव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक 6976/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प.ह.नं. 54 एवं देवरघटा प.ह.नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.264 हेक्टेयर एवं 20.871 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
ग्राम-बरतुंगा	
449/2	0.170
449/4	0.146
448/2	0.081
425/2	0.421
446/1	0.016
446/3	0.020
439/3	0.040
439/4	0.036
442	0.045
448/1	0.121
449/1	0.227
449/3	0.178
415/1	0.219
447/2	0.162
447/1	0.121
447/8	0.202
453	0.182
465/1	0.486
454	0.267
455/2	0.121
451/1	0.154
456	0.162
459/1	0.121
458	0.170
459/2	0.024
435/2	0.210
459/4	0.049
462	0.125
464	0.065
460/1	0.069
486/1	0.150
460/2	0.134
487	0.356
489/1	0.121
461	0.097
466/2	0.081
469/1	0.660
469/2	0.251
472 473	0.660
474	0.234
486/2	0.073
475/1	0.534
476	0.032
485	0.607
498	0.660
492/1	0.332
494/1	0.069
496/1	0.344
494/2	0.028

(1)	(2)
495/1	0.312
496/2	0.069
395/2	0.340
495/3	0.344
496/4	0.073
499/1	0.219
499/6	0.174
योग 57	11.264

ग्राम-देवरघटा

(1)	(2)
1/1	0.081
1/3	0.138
1/6	0.049
3/3	0.085
12/1	0.409
144	0.142
1/2	0.085
1/5	0.057
1/7	0.065
6/1	0.433
6/5	0.162
12/2	0.146
138/2	0.032
1/4	0.045
1/8	0.065
6/3 7/2	0.344
22/3	0.170
1/9	0.057
1/10	0.065
3/1	0.069
3/2	0.065
6/2	0.376
6/6	0.174
123	0.162
4/1 4/2	0.356
8	0.749
14	0.142
15	0.821
116	0.251
118	0.020
122	0.109
124/2	0.113
124/1	0.117
130	0.263
5	0.129
9	0.162
10/1	0.028
23/1	0.081
24/1	0.012
25/2	0.134
125	0.312
6/4 7/1	0.381
9/1	0.283
9/3	0.324
10/3	0.028
25/1	0.040
129/4	0.020
10/1	0.032
11	0.162
129/1	0.040
115	0.235
26	0.381
60	0.049
61	0.142
54 55	0.417
57/1	0.506
27	1.315
58/5	0.202
110	0.231
58/3	0.210
28	0.817

(1)	(2)
31	0.210
33	0.360
56	0.688
107	0.128
137	0.061
141/2	0.186
34	0.219
29, 32	0.356
30	0.170
44	0.162
40/2	0.121
58/4	0.008
113/2	0.121
142/2, 155/2	0.170
46	0.202
47	0.291
52, 53	0.101
51/3	0.073
57/2	0.405
58/1	0.210
58/2	0.202
65	0.384
66/1	0.221
105/1 ख	0.057
105/2 क	0.178
105/2 ख	0.065
112	0.093
117	0.267
131, 132, 133, 134	0.202
108	0.121
109/1	1.011
111	0.186
113/1	0.121
141/1	0.020
114	0.251
219	0.012
59/3	0.077
145	0.121
129/3	0.049
योग 100	20.871

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरतुंगा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक 6977/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा-6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प.ह.नं. 54
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.904 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
499/3	0.073

(1)	(2)
506/1	0.101
507/1	0.049
507/3	0.049
518	0.008
522	0.134
524/2	0.109
365/2	0.069
230	0.105
243	
234/2	0.053
845/1, 2	0.061
259	0.036
261	0.024
262	0.016
291	0.045
287	0.024
288	0.109
292	0.073
290	0.097
293	0.008
994	0.024
295	0.097
296	0.032
199	0.291
203	
196	0.073
197/1	0.146
197/2	0.020
188/2	0.020
846/2	0.040
711	0.114
784	
716/2	0.109
712	0.166
720/1	0.085
1000	0.150
1007	
1006	0.016
1001	0.049
996/1	0.081
996/2	
995	0.073
986	0.016
989/1	0.101
846/3	0.105
988/1	0.081
989/1, 2	0.008
983	0.170
982	0.004
981/2	0.089
987	0.040
984	0.081
967	0.097
970	0.049
969	0.008
968/2	0.065
847	0.032
843/1	0.012
248	0.061
244	0.024
214	0.032
योग 47	3.904

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरतुंगा जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2002

क्रमांक 4711/भू-अर्जन/2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कुकरीचोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
233	0.04
234	0.05
242/2	0.14
242/3	0.12
243	0.11
244	0.05
242/1	0.13
283/1	0.41
283/3	0.17
283/4, 283/5	0.15
285/1, 285/3	0.18
290/4	0.07
290/1	0.07
291/3	0.52
291/2	0.21
296	0.05
316/5	0.07
295	0.04
313	0.09
314	0.02
316/2	0.02
316/7	0.17
318/1	0.02
318/2	0.12
321/1	0.28
319/5, 319/6	0.54
377	0.30
380/1 ख	0.43
380/1 ड	0.29
380/2	0.43
योग 30	5.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सलिहाभाठा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के न्यायालय में देखा जा सकता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्रमांक 5897/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-पोन्दुम, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1428	0.25
1343	0.25
1437	0.42
1353	0.42
1439	0.32
1440	0.08
1070	0.04
1067	0.16
1426	3.34
1475	0.12
योग	2.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दंतेवाड़ा से कटेकल्याण पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी दंतेवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 अप्रैल 2002

रा.प्र.क्र. 4/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अंबिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ादमाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
366	1.214
306	0.809
418	0.648
323	0.829
योग	3.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरनई मध्यम परियोजना अन्तर्गत विस्थापितों के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, स्थानीय निधि सम्परीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक एल.एफ.ए./प्रशा./एस.ए.एस./2002/04.— छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग आदेश दिनांक 15-1-2002 एवं म. प्र. शासन वित्त विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1023-2335 (चार)/नि-6/ दिनांक 2-7-61 के अनुच्छेद 3 के अध्यधीन आदेशानुसार अधिसूचित है कि छ. ग.राज्य स्थानीय निधि सम्परीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं दो वर्ष 2002 दिनांक 18-4-2002 से 24-4-2002 तक नीचे लिखित कार्यक्रमानुसार रायपुर में सम्पादित होगी :—

भाग-एक

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिवस (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम	18-4-2002	गुरुवार	संक्षेपिका तथा प्रारूप	11.00 बजे से 2.00 बजे 3 घण्टा पुस्तक रहित
2.	द्वितीय	19-4-2002	शुक्रवार	मूलभूत नियम, सिविल लेखा, विनियम इत्यादि.	11.00 बजे से 1.30 बजे तक 2-1/2 घंटा पुस्तक सहित.
3.	तृतीय	22-4-2002	सोमवार	लेखा परीक्षा तथा लेखा संहिताएं	11.00 बजे से 1.30 बजे तक 2-1/2 घंटा, पुस्तक सहित.
4.	चतुर्थ (अ)	23-3-2002	मंगलवार	स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक).	11.00 बजे से 12.30 बजे तक 1-1/2 घंटा, पुस्तक रहित.
5.	चतुर्थ (ब)	24-4-2002	बुधवार	स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम विनियम (व्यवहारिक)	11.00 बजे से 1.30 बजे तक 2-1/2 घंटा, पुस्तक सहित.

भाग-दो

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिवस (4)	विषय (5)	समय (6)
1.	प्रथम (अ)	18-4-2002	गुरुवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (सैद्धांतिक) पुस्तक रहित.	सायंकाल 3.00 बजे से 4.30 बजे तक 1-1/2 घंटा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सांयकाल
2.	प्रथम (ब)	19-4-2002	शुक्रवार	विधान मण्डल के अधिनियम तथा सांविधिक नियम (व्यवहारिक) पुस्तक सहित.	3.00 बजे से 5.30 बजे तक 2-1/2 घंटा.
3.	द्वितीय	22-4-2002	सोमवार	भारत का संविधान पुस्तक सहित.	3.00 बजे से 6.00 बजे तक 3 घण्टा.
4.	तृतीय	23-4-2002	मंगलवार	वाणिज्यिक बहीखाता (कॉमर्शियल बुक कीपिंग). पुस्तक रहित.	3.00 बजे से 5.00 बजे तक 2 घण्टा.
5.	चतुर्थ	24-4-2002	बुधवार	स्थानीय नियम तथा लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता (पुस्तक सहित).	3.00 बजे से 5.30 बजे तक 2-1/2 घण्टा.

नोट :—(1) परीक्षा भाग एक एवं दो के अनुक्रमांक पृथक से शीघ्र जारी किये जायेंगे
(2) परीक्षा केन्द्र की सूचना पृथक से दी जावेगी

-सही/-
(एस. एस. बनर्जी)
संयुक्त संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2001

क्रमांक सचिव/छ.रा.वि.मं./5269.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (LIV of 1948) की धारा 79 के कण्डिका (सी) सहपठित कण्डिका (के) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अपने कर्मचारियों के हितार्थ सामान्य भविष्य निधि न्यास की स्थापना एवं संधारण के उद्देश्य से निम्न विनियमन बनाने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि विनियमन 2001

(1) **संक्षिप्त नाम :—** ये विनियम 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि विनियमन' कहा जाएगा.

(2) **विस्तार एवं प्रारंभ :—** ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के समस्त स्थायी एवं नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होगा. ये नियम कार्यभारित स्थापना के उन कर्मियों के लिए भी लागू होगा जो सामान्य भविष्य निधि के लिए नियुक्ति के एक माह के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करेगा. ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में कार्यरत उन कार्यभारित कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिन्होंने इस नियम से शासित होने का अपना विकल्प दिया है. ये विनियम उन कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत शासित होंगे. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की स्थापना की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

(3) परिभाषाएं :— संदर्भ में जब तक विषय के विपरीत कोई बात न हो इस नियम में :—

(ए) 'मण्डल' का तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल होगा जिसमें अभिहस्तांकिती/अन्तरण गृहीता या उत्तराधिकारी भी समाहित है, संक्षेप में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल होगा.

(बी) 'नियोक्ता' से तात्पर्य अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की ओर से कार्य करने हेतु या उससे जिसे कोई शक्तियां प्रदत्त की गयी हों.

(सी) 'कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे वेतन पर किसी भी प्रकार के कार्य शारीरिक अथवा अन्य के लिए स्थापना या स्थापना से संबंधित कार्य के लिए नियोजित किया गया हो और वह अपना वेतन नियोक्ता से प्राप्त कर रहा हो परन्तु इसमें सम्मिलित नहीं है.

(i) ठेकेदार के कर्मचारी.

(ii) कार्यभारित स्थापना या एन. एम. आर. पर नियोजित व्यक्ति जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम लागू होता है.

(iii) वे व्यक्ति जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की सदस्यता अथवा सदस्यता की निरन्तरता हेतु विकल्प किया है.

(iv) वे व्यक्ति जो अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त कर चुका है.

(डी) परिलब्धियां :—
परिलब्धियां से तात्पर्य (वेतन + मंहगाई भत्ता) विदेश में प्राप्त वेतन जिसकी गणना स्टर्लिंग के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित विनिमय दर के आधार पर की गयी हो. व्यक्तिगत वेतन, अतिरिक्त वेतन, तकनीकी या स्टाफ वेतन परन्तु अन्य किसी प्रकार के भत्ते समाहित नहीं होंगे, परन्तु विदेश सेवा से वेतन के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक सम्मिलित होंगे.

(ई) परिवार :—

(i) पुरुष सदस्यों के प्रकरणों में पत्नी, बच्चे विवाहित हो या अविवाहित, मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे और सदस्य के आश्रित माता-पिता.

यदि सदस्य यह सिद्ध करता है कि उसकी पत्नी व्यक्तिगत कानूनों या समुदाय के परम्परागत नियमोंके अंतर्गत पत्नी नहीं है तथा वह भरण-पोषण की पात्रता रखती हो तो इस विनियमन के अंतर्गत परिवार की सदस्य नहीं रहेगी एवं जब तक की सदस्य द्वारा स्पष्ट रूप से पुनः पत्नी के रूप में निरन्तर मान्य किए जाने की लिखित सूचना मण्डल को न दी गई है.

(ii) स्त्री सदस्यों के प्रकरण में पति उनके बच्चे चाहे विवाहित हो या अविवाहित उनके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके पुत्र की विधवा और बच्चे.

यदि महिला सदस्य ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को लिखित रूप से अपनी इच्छा सूचित किया हो कि उसके परिवार से उसके पति का नाम बाहर रखा जाए. ऐसी दशा में इस विनियमन के तहत पति व उसके आश्रित माता-पिता उसके परिवार के सदस्य नहीं माने जावेंगे. जब तक कि बाद में सदस्य लिखित रूप से ऐसी किसी सूचना को निरस्त नहीं करता.

स्पष्टीकरण :— उपरोक्त दोनों प्रकरणों में; यदि सदस्य का बच्चा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोद लिया गया हो और यदि वैयक्तिक कानून के तहत गोद लिया जाना वैध हो; इस स्थिति में गोद लिया गया बच्चा सदस्य के परिवार में सम्मिलित नहीं माना जावेगा.

(ए) 'बच्चे' का अर्थ वैध बच्चे जिसमें गोद लिए बच्चे शामिल है यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इस बात से संतुष्ट है कि गोद लिया जाना सदस्य के वैयक्तिक कानून के तहत विधिक रूप से मान्य है.

(एफ) 'निधि' से तात्पर्य इन विनियमन के अंतर्गत बनाए गए भविष्य निधि से है और इसमें वह सभी राशि जो समय-समय पर न्यास के द्वारा रखी गई अथवा न्यास मण्डल के खाते में इन प्रावधानों के अनुसरण के कारण एवं इस राशि का समयावधि के लिए किसी भी प्रकार का किया गया निवेश सम्मिलित है.

(जी) 'सदस्य' से तात्पर्य कोई कर्मचारी प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के जो इस विनियमन के तहत निधि में अंशदान करता है.

(एच) 'न्यासी' का तात्पर्य न्यास में तत्समय के सदस्यों से है.

(4) **निधि का गठन :—**निधि 'छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि' के नाम से गठित किया जावेगा. निधि इस विनियमन के अंतर्गत गठित न्यास मण्डल, न्यास के अंतर्गत निहित एवं प्रशासित होगी जो पंजीकृत होगी और जो कि समस्त हितग्राहियों के स्वीकृति से अप्रतिसंहरणीय बचत होगी और न्यास से संबंधित न्यास मण्डल के पास रखी निधि नियोक्ता के द्वारा किसी बहाने से वसूली नहीं जा सकेगी जो भी हो, न ही नियोक्ता को उक्त बचत का ग्रहण अधिकार होगा न ही दिए गए स्वरूप में परिवर्तन कर सकेगा.

(ए) **निधि का स्रोत :—**निधि की स्थापना निम्न स्रोतों से होगी :—

(i) म. प्र. विद्युत मण्डल/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पहले से ही जमा की गई सदस्यों के अंशदान रु. जो मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल/अन्य विभाग में अपनी सेवाकाल के दौरान इस प्रकार जमा की गई सामान्य भविष्य निधि राशि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को चाहे स्थानान्तरित कर दी गई हो अथवा नहीं.

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की स्थापना की तिथि/छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सेवा की तिथि से निधि की स्थापना तक सामान्य भविष्य निधि में, मद में सदस्यों की जमा रुपए

(iii) सदस्यों का अंशदान.

(iv) निधि में जमा राशि से किए गए निवेश/अथवा दिए गए ऋण से प्राप्त आय/ब्याज.

(v) शासन अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सदस्य कर्मचारी के भविष्य निधि में दिया गया कोई अशंदान.

5. **न्यास मण्डल की संस्थापना :—**

(ए) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल न्यास मण्डल का गठन नीचे दर्शाए गए अनुसार पांच वर्ष के लिए एक अध्यक्ष तथा आठ सदस्य जिसमें चार नियोक्ता के प्रतिनिधि तथा चार कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर संरचना में परिवर्तन कर सकता है. लेकिन किसी भी प्रकरण में प्रबंधन के प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि सदस्य संख्या में समान होंगे, परन्तु मण्डल में न्यासियों की संख्या न तो चार से कम होगी और न ही 12 से अधिक.

(बी) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का एक सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा नामांकित न्यास मण्डल के पदेन अध्यक्ष होंगे.

(सी) मण्डल चार सदस्यों को निम्नानुसार नामांकित करेगी :—

(i) वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य.

(ii) दो सदस्य जो अभियांत्रिकी विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे.

(iii) एक सदस्य जो गैर तकनीकी अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा.

(डी) कर्मचारियों के चार प्रतिनिधि निम्नानुसार होंगे :—

(i) मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ तीन सदस्य निम्नानुसार नामांकित करेगा एवं प्रतिनिधि संघ के अभाव में सबसे अधिक सदस्यता वाला संघ तीन सदस्य नामांकित करेगा :—

(1) पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों से एक सदस्य.
(2) तकनीकी स्थापना से एक सदस्य.
(3) लिपिकीय कर्मचारियों से एक सदस्य

(ii) छ. रा. वि. मं. अभियंता संघ द्वारा नामित किया गया एक सदस्य.

(ई) न्यास मण्डल के सदस्यों में से एक सदस्य जो सचिव के रूप में सदस्यों द्वारा ही चयनित किया जाएगा.

6. **न्यासियों की सदस्यता की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना :—**
न्यास के सदस्य, न्यास मंडल के सदस्य नहीं रहेंगे यदि,

(i) मण्डल के कर्मचारी नहीं रहने पर.

(ii) भविष्य निधि के सदस्य नहीं रहने पर.

(iii) प्रतिनिधि संघ अथवा अन्य संघ के द्वारा नामांकित सदस्य का नामांकन वापस लेने पर.

(iv) न्यास मण्डल के अध्यक्ष की अनुमति के बिना न्यास मण्डल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, यदि न्यास मण्डल संतुष्ट होता है कि अनुपस्थिति के युक्तियुक्त कारण है तो अध्यक्ष द्वारा न्यासी के पद पर उसे पुनर्स्थापित किया जा सकेगा.

(v) न्यास मण्डल का न्यासी लिखित रूप से अध्यक्ष को सम्बोधित त्याग-पत्र देकर अपने पद को त्याग सकता है. न्यासी का पद एवं उसका कार्यालय न्यास मण्डल द्वारा त्याग-पत्र स्वीकृति की तिथि से रिक्त होगा.

(vi) न्यासी को उसके पद से न्यास मण्डल हटा सकता है, यदि न्यासी न्यास मण्डल अथवा न्यास के हितग्राहियों के हितों के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है. परन्तु किसी भी ऐसे न्यासी को बिना उचित अवसर दिए तथा संगठन जिसका वह प्रतिनिधि है, के स्पष्टीकरण पर बिना विचार किए उसे पद से हटाया नहीं जा सकेगा.

(vii) यदि न्यासी न्यास मण्डल की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अनुपस्थिति के संबंध में न्यास मण्डल के अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित आवेदन दे सकता है.

(viii) न्यास मण्डल न्यासी की रिक्तता को उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार भरेगा तथा ऐसी प्रत्येक नियुक्तियों में कोष की निरन्तरता निहित रहेगी. ऐसे न्यासी का कार्यकाल अन्य न्यासियों के कार्यकाल तक रहेगा.

7. न्यासियों का भारत से बाहर जाना :—
न्यासी को भारत से बाहर जाने से पूर्व,

(ए) न्यास मण्डल के अध्यक्ष को भारत से बाहर जाने की तिथि तथा वापस आने की संभावित तिथि की सूचना देनी होगी.

(बी) यदि वह 6 माह से अधिक समय तक बाहर रहने वाला है तो उन्हें न्यास मण्डल से त्याग-पत्र देना होगा.

(सी) यदि कोई न्यासी 6 माह अथवा अधिक समय तक बिना न्यास मण्डल के अध्यक्ष को सूचित किये भारत से बाहर रहता है तो उसके द्वारा न्यासी के पद से त्याग-पत्र दिया गया माना जाएगा.

8. कार्यालय एवं कर्मचारी :—
न्यास मण्डल का मुख्यालय उसी स्थान पर होगा जहां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का मुख्यालय होगा. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कार्यालय भवन, कार्यालय हेतु कर्मचारी, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी तथा अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी.

न्यास मण्डल के सचिव, आवश्यक आकस्मिक खर्च के लिए 2000/- रुपये, तक व्यय करने हेतु अधिकृत हैं तथापि न्यास मंडल प्रस्ताव पारित कर इस राशि में वृद्धि कर सकता है या स्वीकृत या अधिक राशि के खर्चे को उचित कारणों से अभिलेखित कर स्वीकृति प्रदान कर सकता है.

9. कोष का नियंत्रण :—

(ए) इन नियमों के तहत न्यास मण्डल कोष का नियंत्रण करेगा तथा न्यासी को अथवा स्थापना कर्मचारी को विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति के लिए अधिकृत करेगा. नियमों की व्याख्या या स्थापना एवं/अथवा सदस्यों के अधिकार तथा दायित्वों से संबंधित इन नियमों के अंतर्गत उपजे विवादों एवं मतभेदों का भी निराकरण न्यास मण्डल करेगा एवं न्यासियों के बहुमत के निर्णय सभी प्रकरणों में संबंधितों के लिए बंधनकारी होगा. न्यासियों के मतों में असमानता होने पर न्यास मण्डल के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा. यदि न्यास मण्डल का निर्णय जो सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हो. प्रकरण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष को अग्रेषित किया जावेगा, प्रकरण में उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

10. न्यास मंडल की कार्यप्रणाली, कोष का प्रबंधन :—

(ए) न्यास मंडल आय-व्यय का उचित लेखा तैयार करेगी, जिसका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा साथ ही साथ राज्य के महालेखाकार अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्वीकृति से न्यास मंडल जिससे उचित समझें अंकेक्षण करायेगी.

(बी) न्यास मण्डल प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कोष को शासकीय प्रतिभूतियों में अधिकतम ब्याज प्राप्ति हेतु निवेश करने हेतु निर्णय ले सकेगा. न्यास प्रस्ताव द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को भी ऋण, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को स्वीकृत ऋण की ब्याज दर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज देने की शर्त पर प्रदान करने का निर्णय ले सकेगा एवं न्यास मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के तहत विशेषत: ऋण अदायगी की शर्त पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को ऋण प्रदान किया जाएगा.

(सी) न्यास मण्डल के कार्यालय एवं लेखा-जोखा के रख-रखाव हेतु आवश्यक कर्मी तथा न्यास मण्डल द्वारा न्यास मण्डल के उचित संचालन हेतु आवश्यक राशि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल प्रदान करेगा. उक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के संवैतनिक कर्मचारी होंगे.

(डी) समस्त निवेश छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भविष्य निधि न्यास के नाम से होंगे.

(ई) यदि आवश्यक हो तो न्यास मण्डल आयकर विभाग से न्यास द्वारा अर्जित ब्याज पर आयकर की छूट की मांग कर सकता है.

(एफ) न्यास मण्डल दैनंदिन कार्यों के संचालन, लेखा-जोखा एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए नियम-उपनियम बनाने के लिए सक्षम होगा जो कि इन विनियमन के अनुसार होंगे.

(जी) कोष से कर्मचारी को भविष्य निधि के समस्त अथवा आंशिक भुगतान इन विनियमन एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के प्रभावी अन्य नियम/विनियमन से नियंत्रित होंगे.

(एच) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि न्यास को राज्य के संगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत एवं निगमित करने के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने, अधिवक्ता की नियुक्ति या इसके विषयक कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए, के निष्पादन हेतु न्यास मण्डल प्रस्ताव द्वारा सचिव अथवा अन्य किसी सदस्य को अधिकृत कर सकेगा.

(आई) इस विनियम के अंतर्गत चयनित न्यास मण्डल का सचिव, कोष के प्रबंधन से संबंधित समस्त पत्राचार करने एवं कोष के लिए प्राप्त किसी राशि की आवश्यक पावती जारी करने, हस्ताक्षर करने तथा कोष का लेखा-जोखा रखने हेतु सक्षम अधिकारी होगा. न्यास मण्डल के सचिव को एक माह में अधिकतम 2000/- रुपए आवश्यक खर्च करने का अधिकार होगा. न्यास मण्डल न्यास के हित में अधिक राशि के खर्च को स्वीकृत या अनुमोदित कर सकेगा.

(जे) जब कभी आवश्यक समझा जाए, न्यास मडल का सचिव न्यास मण्डल की बैठक की प्रस्तावित सूची में विशेषतया विस्तृत टीप के साथ विनियम में संशोधन हेतु सुझाव लाएगा. न्यास मण्डल द्वारा संशोधन स्वीकृति उपरान्त विनियम में उपयुक्त संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष को अग्रेषित करेगा.

(के) घोषणा पत्र, प्रपत्र 'अ' नामांकन पत्र प्रपत्र 'ब' में प्राप्त करने हेतु अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

(एल) न्यास मण्डल, ऐसे किसी कर्मचारी का जो कि पूर्व नियोक्ता की किसी भविष्य निधि योजना का सदस्य है तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सेवा में आता है तो उसके पूर्व भविष्य निधि में जमा राशि को स्वीकार करेगा. इस भविष्य निधि में प्रवेश के साथ उसका संचय उसके खाते में जमा हो जाएगा.

(एम) यदि सदस्य की सेवा समाप्त होती है और वह किसी अन्य स्थापना की सेवा में नियत होता है, तो न्यास मण्डल सदस्य की संचित राशि को नए नियोक्ता के पास उसके खाते में अंतरित करेगा.

(एन) यदि न्यास मण्डल संतुष्ट होता है कि सदस्य द्वारा अग्रिम अथवा ऋण का आहरण जिस उद्देश्य से किया गया है, उसके बदले अन्य उद्देश्य में खर्च किया गया है तो उक्त राशि को तत्काल मय ब्याज के अथवा जैसा प्रकरण हो, अभिदाता द्वारा कोष को वापस किया जाएगा अथवा नहीं करने पर, आदेशित किया जाता है तब अभिदाता के परिलब्धियों से एकमुश्त कटौती द्वारा वसूल किया जाए, यदि वह अवकाश पर हो तब भी. यदि भुगतान अथवा वापस की जाने वाली कुल राशि अभिदाता के परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो न्यास मण्डल द्वारा जैसा नियत हो मासिक किश्तों में वसूली जाएगी.

11. बैठकें :—

(ए) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर न्यास मण्डल की बैठक आयोजित होंगी, न्यास मण्डल की बैठक प्रति तिमाही एक बार आयोजित होंगी. परन्तु यह कि किसी विशेष विषय में जहां अध्यक्ष की राय में निर्णय अगली बैठक तक नहीं टाला जा सकता है वहां प्रकरण न्यासियों के मध्य प्रकरण प्रेषित कर निर्णय करने एवं न्यासियों के बहुमत का कोई निर्णय, बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के समान मान्य होगा व कार्यवाही विवरण पुस्तिका में दर्ज की जाएगी बशर्ते यह कि इस तरह का निर्णय न्यास मण्डल की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखा जाए.

(बी) **बैठक की सूचना :—**

प्रत्येक न्यासी को पंजीकृत डाक अथवा विशेष पत्रवाहक द्वारा प्रत्येक बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व दिनांक, समय एवं स्थान दर्शाते हुए बैठक की कार्य सूची के साथ दी जाएगी. यह कि जहां अध्यक्ष के मत में जब किसी विषय पर बैठक बुलाना अति आवश्यक हो तब वह जितना आवश्यक समझे उचित समय देते हुए बैठक बुलाएगा, जिसे पर्याप्त माना जाएगा.

(सी) **गणपूर्ति :—**

(i) न्यास मण्डल के किसी बैठक में गणपूर्ति के लिए चार न्यासी, दो न्यासी कर्मचारी प्रतिनिधि तथा अन्य मण्डल प्रतिनिधि होंगे. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास मण्डल के उपस्थित सदस्य आपस में से बैठक हेतु अध्यक्ष चयन कर सकते हैं.

(ii) न्यास मण्डल के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, टाई होने की स्थिति में न्यास मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय बहुमत के लिए निर्णायक होगा.

(iii) न्यास मण्डल का निर्णय दर्ज करने हेतु बनाई गयी कार्यवाही विवरण पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा.

(iv) न्यास मण्डल की बैठक की कार्यवाही विवरण, कार्यवाही विवरण पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा और अध्यक्ष तथा उपस्थित समस्त न्यासियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, कार्यवाही विवरण में न्यास मण्डल के सदस्य द्वारा असहमति व्यक्त किए जाने पर इस असहमति की टीप को भी सम्मिलित किया जाएगा. न्यास मण्डल के सचिव द्वारा कार्यवाही विवरण न्यास मण्डल के सभी सदस्यों को बैठक की तिथि से 7 दिन के भीतर प्रसारित किया जाएगा तथा अगली बैठक में इसकी पुष्टि की जाएगी.

(v) गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित किया जाएगा तथा आधे घण्टे पश्चात् पुन: आयोजित होगी, इस बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु ऐसे बैठक में वित्त से संबंधित विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी एवं निर्णय नहीं लिए जाएंगे, उपर्युक्त नियम 11 (सी) के अनुसार गणपूर्ति पूर्ण करने वाली सामान्य बैठक में ही ऐसे विषय पर निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा.

12 **सदस्यता :—**

(ए) कार्यभारित तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को छोड़कर मण्डल के प्रत्येक स्थायी/नियमित कर्मचारी जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए संविदा नियुक्त कर्मचारी सम्मिलित है, सदस्यता के योग्य होंगे तथा इस विनियम के अंतर्गत कोष में अभिदान दे सकेंगे. कर्मचारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल में सेवा के लिए विकल्प दिए हैं अथवा म. प्र. विद्युत मण्डल से, म. प्र. शासन या छत्तीसगढ़ शासन के अन्य किसी विभाग से स्थानांतरित किए गए हों, भी सदस्यता के योग्य होंगे तथा कोष में अभिंदान दे सकेंगे. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की सेवा में आने वाले व्यक्ति प्रपत्र 'ए' में घोषणा पत्र भरकर न्यास मण्डल द्वारा इस उद्देश्य से-अधिकृत अधिकारी को देगा.

(बी) **नामांकन :—**
प्रत्येक सदस्य निधि की सदस्यता के तुरन्त पश्चात्, उनकी मृत्यु के पश्चात्, उनके नाम से कोष में जमा राशि को प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित प्रपत्र 'बी' में नामांकन भरेगा. वह एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है, या संबंधित नामितियों को राशि वितरित कर सकता है. सदस्य न्यासियों को उचित माध्यम से लिखित सूचना के द्वारा नामांकन परिवर्तित करने हेतु स्वतंत्र रहेगा परन्तु सामान्यता उनकी सेवाकाल में 2 से अधिक बार परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. इसके बावजूद विशेष परिस्थितियों में न्यास मण्डल द्वारा इसमें छूट दी जा सकती है.

स्पष्टीकरण :—

(एक) परिवीक्षा में नियुक्त कर्मचारी यदि स्थायीकृत कर्मचारी होते हैं तो वे सदस्य बनने के योग्य होंगे. वे अपनी प्रथम नियुक्ति की तिथि से निधि के सदस्य होंगे.

(बी) अस्थायी रूप से नियुक्त किन्तु भूतलक्षी प्रभाव से स्थायी कर्मचारी; स्थायीकरण की तिथि से सदस्यता के योग्य होंगे एवं उन्हें अपना अंशदान स्थायीकरण की तिथि से भुगतान करना आवश्यक होगा.

(सी) प्रत्येक सदस्य कर्मचारी तब तक सदस्य रहेगा जब तक कि वह अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त न की हो अथवा किसी कारण वश सेवा समाप्त न कर दी गई हो.

(डी) न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर कर्मचारियों के किसी अन्य वर्ग को सदस्य बनाने का निर्णय ले सकती है एवं इन विनियमों में उपयुक्त संशोधन के लिए कार्यवाही कर सकती है.

13. सदस्यों द्वारा अंशदान :—

(i) प्रत्येक कर्मचारी इस निधि के सदस्य बनेंगे वे अपने मूल मासिक वेतन + महंगाई भत्ता (जिसमें अतिरिक्त वेतन या महंगाई भत्ता शामिल है) का 8.33 प्रतिशत के बराबर अभिदान, निधि में करेंगे.

(ii) कर्मचारी स्वेच्छा से अधिक अंशदान कर सकते हैं परन्तु मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जिसमें अतिरिक्त वेतन + महंगाई भत्ता शामिल है) का 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. अभिदान दर में परिवर्तन अपनी इच्छानुसार वर्ष के प्रारंभ में लिखित सूचना द्वारा कर सकेंगे परन्तु किसी भी दशा में उच्चतम दर 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(iii) अभिदान की कटौती वेतन या अवकाश वेतन जो भी हो के आहरण के समय की जावेगी.

14. लेखा :—

(ए) निधि के प्रत्येक सदस्य को खाता नम्बर आवंटित किया जाएगा तथा खाता न्यास मण्डल द्वारा प्रत्येक अभिदाता सदस्य के नाम से रखा जाएगा जिसमें ये प्रविष्टि की जाएगी :—

(i) अभिदाता का अभिदान.

(ii) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज.

(iii) यदि सदस्य को कोष से कोई अग्रिम दिया गया हो तथा सदस्य द्वारा अग्रिम के मद में किया गया वापस भुगतान.

(बी) प्रत्येक सदस्य को वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरान्त यथा 31 मार्च के चार महीने के अंदर वार्षिक लेखा विवरण दिया जाएगा और सदस्य द्वारा कोई विसंगति पाए जाने पर वार्षिक विवरण प्राप्ति के दो माह के भीतर न्यास मण्डल को सूचित करना आवश्यक है. न्यास मंडल किसी त्रुटि की जांच करेगा एवं यदि कोई त्रुटि हो तो सुधारने की कार्यवाही करेगा एवं परिणाम से सदस्य को तुरन्त अवगत कराएगा.

15. बैंक खाता :—

न्यास मण्डल किसी एक या एक से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि न्यास के नाम से खाता खोलेगा और खाता, न्यास मण्डल के सचिव एवं एक सदस्य जिसके नाम का निर्धारण प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा, के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाएगा. न्यास मण्डल, न्यास मण्डल के सचिव के साथ दो हस्ताक्षरकर्त्ताओं के नाम देगा.

16. न्यास निगमित संस्था होगी :—

न्यास निगमित संस्था होगी और छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील संबंधित विधि के अंतर्गत पंजीकृत होगी. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि न्यास के नाम से वाद लाया जा सकेगा या दावा किया ज़ा सकेगा. न्यास छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध इस विनियम अथवा किसी अन्य विधि के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को प्रभावशील करने हेतु वाद प्रस्तुत कर सकता है. ऐसे समस्त मामलों के लिए न्यायालयीन क्षेत्राधिकार रायपुर होगा.

17. **ब्याज दर :—**

(i) मण्डल वित्तीय वर्ष के अंत में यथा प्रतिवर्ष 31 मार्च को प्रत्येक सदस्य के खातों में जमा राशि पर वर्ष में एक बार ब्याज देगा जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत देय ब्याज दर से कम नहीं हो सकेगा.

(ii) सदस्य को, जिस माह आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान किया गया हो, उस माह के पूर्ववर्ती माह के अंत तक जमा राशि पर ब्याज देय होगा.

(iii) कर्मचारियों द्वारा उनके अपने कोष से लिए गये ऋण पर उनके द्वारा ब्याज देय नहीं होगा तथा ऋण राशि/आंशिक भुगतान की कटौती उपरान्त जमा राशि पर मंडल द्वारा ब्याज देय होगा.

18. **कोष से अग्रिम ऋण :—**

(1) कोष में सदस्य के खाते में जमा राशि में से सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर न्यास मण्डल नीचे दिए किसी या अधिक कारणों से ऋण (राशि) स्वीकृत कर सकता है.

(ए) किसी आवास मण्डल सहकारी समिति, विकास प्राधिकरण अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से सदस्य द्वारा प्राप्त किए किसी आंशिक या संपूर्ण ऋण की वापसी के लिए.

(बी) सदस्य को अपने या अपनी पत्नी के नाम से भवन प्राप्त करने हेतु.

(सी) आवेदक अथवा किसी व्यक्ति, जो उस पर वास्तव में आश्रित है के दीर्घकालीन बीमारी, सिविल सर्जन अथवा शासकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, के संबंध में खर्च हेतु.

(डी) आवेदक या उन पर वास्तव में आश्रित व्यक्ति की शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के कारण से विदेश यात्रा खर्च हेतु.

(ई) आवेदक की हैसियत के अनुसार विवाह, उत्सव या अंतिम संस्कार के संबंध में जिसका क्रियान्वयन उसके धर्म के कारण आवश्यक हो, खर्च को पूरा करने के लिए.

(एफ) उसकी हैसियत के अनुरूप वाहन क्रय करने हेतु.

(जी) न्यास मण्डल की संतुष्टि पर विशेष या असामान्य कारणों से.

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल या मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल अथवा दोनों में सदस्य की कम से कम 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त ही अग्रिम/ऋण के आवेदन पर विचार किया जाएगा.

(3) स्वीकृत राशि सदस्य के खाते में जमा राशि की 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

19. **अग्रिम ऋण की वसूली :—**

(i) स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी के निर्देशानुसार समान मासिक किश्तों में अभिदाता से अग्रिम की वसूली की जाएगी, परन्तु ऐसी संख्या जब तक अभिदाता चयन न करें बारह से कम नहीं होगी, अथवा किसी प्रकरण में चौबीस से अधिक. अभिदाता अपनी स्वेच्छा से निर्धारित किश्तों से कम किश्तों में भुगतान कर सकता है. प्रत्येक किश्त पूर्ण रुपए की संख्या में होगी.

(ii) अंशदान की कटौती के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अग्रिम ऋण की वसूली की जाएगी. अभिदाता किसी माह में जब पूर्ण वेतन प्राप्त करता है, तब ही अग्रिम से संबंधित किश्त वसूली जाएगी. सदस्य के अवैतनिक अवकाश पर होने अथवा निलंबित होने पर ऋण की वसूली नहीं की जाएगी जब तक उनके द्वारा निर्वाह भत्ते से ऋण/अग्रिम भुगतान की कटौती की सहमति नहीं दी जाती.

(iii) यदि अभिदाता को एक से अधिक अग्रिम दिया गया हो तो वसूली के उद्देश्य से प्रत्येक अग्रिम को अलग-अलग माना जाएगा.

(iv) यदि अभिदाता को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो और उनके द्वारा आहरित किया गया हो तथा बाद में वापसी पूर्ण होने के पूर्व अग्रिम अस्वीकृत किया जाता है तो इस स्थिति में आहरित ऋण की बकाया राशि अभिदाता द्वारा कोष में जमा की जावेगी अथवा जमा नहीं करने की स्थिति में न्यास मण्डल अभिदाता के वेतन से किश्तों द्वारा अथवा जैसा भी निर्देशित हो कटौती करने हेतु आदेशित कर सकता है.

(v) इस विनियम के अंतर्गत की गयी वसूली को कोष में अभिदाता के खाते में वैसे ही जमा किया जाएगा जैसे अभिदाता का अंशदान जमा किया जाता है.

20. आंशिक अंतिम आहरण :—

सदस्य, छ. रा. वि. मं. अथवा म. प्र. वि. मं. अथवा दोनों में 15 वर्ष की सेवाएं न की हो तब तक उसे आंशिक अंतिम आहरण प्रदान नहीं किया जाएगा. आंशिक अंतिम आहरण सदस्य के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

21. कुर्की के विरुद्ध संरक्षण :—

(ए) वह रकम जो किसी सदस्य के नाम निधि में जमा है किसी प्रकार से समनुदिष्ट या भारित किए जाने योग्य न होगी और उस सदस्य द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व के बारे में किसी न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्क नहीं की जा सकेगी.

(बी) कोई रकम जो किसी सदस्य के नाम निधि में उसकी मृत्यु के समय जमा है और नियमों के अधीन उसके नाम निर्देशिती को देय है और उक्त नियमों द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती के अधीन रहते हुए नाम निर्देशिती में निहित होगा और मृतक द्वारा उपगत या उसकी मृत्यु के पूर्व उस नाम निर्देशिती द्वारा उपगत किसी ऋण या दायित्व से मुक्त होगी.

22. भविष्य निधि की अदायगी :—

भविष्य निधि की संचित संपूर्ण राशि का भुगतान मय ब्याज के कर्मचारी को, उनके नामें शेष कोई ऋण अग्रिम, को समायोजित करते हुए निम्नलिखित स्थितियों में किया जाएगा :—

(ए) अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति.

(बी) जब अभिदाता नौकरी छोड़ता है.

(सी) नियोक्ता द्वारा सेवा समाप्ति पर, जब कर्मचारी गबन के अपराध में बर्खास्त किया गया हो, छ.रा.वि.मं. अथवा इस न्यास के कोष से बेईमानी, धोखेबाजी की हो, को छोड़कर अथवा कदाचरण के उक्त मामलों में छ. रा. वि. मं. के निवेदन पर संबंधित कर्मचारी को सुनने का अवसर प्रदान करने के उपरान्त उक्त कदाचरण में सम्मिलित संपूर्ण अथवा आंशिक राशि को समायोजित कर सकता है, संबंधित कर्मचारी देय राशि प्राप्त करने हेतु अपने अधिवार्षिकी अथवा मण्डल की सेवा त्यागने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व न्यास मण्डल को आवेदन करेगा. उपरोक्त खण्ड 'सी' के अंतर्गत छ. रा. वि. मं. लिखित सूचना अध्यक्ष, न्यास मण्डल को देगा. न्यास मण्डल संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा विधिक देय ब्याज सहित राशि उनकी सेवा समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था करेगा अथवा जो भी हो कोई कारण देगा और उनके संचय राशि एवं ब्याज तथा कटौती यदि कोई हो, का लेखा प्रदान करेगा. यदि अभिदाता के खाते में जमा राशि के भुगतान के पहले सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो राशि भुगतान नियम 12 बी के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा. दो नामिनी के मध्य विवाद होने की स्थिति में अथवा वैधानिक उत्तराधिकारी जिसका नाम नामांकन प्रपत्र में दर्शाया नहीं गया है, मामले के क्षेत्राधिकार वाले सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र दावेदार से प्रस्तुत होने तक भविष्य निधि की राशि न्यास मण्डल द्वारा रोके रखी जाएगी.

23. हस्तान्तरण एवं समनुदेशित पर प्रतिबंध :—
सदस्य को अपने हित के लिए अथवा किसी संबंध में प्रतिभूति के अंतर्गत कारणों से जो भी हो हस्तान्तरण अथवा समनुदेशित करने की पात्रता नहीं होगी तथा इस तरह का हस्तान्तरण एवं समनुदिष्ट मान्य नहीं होगा.

24. नियमों में परिवर्तन की शक्ति :—
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को अधिकार होगा कि वह इस विनियमों को बदले अथवा रद्द करें अथवा इनमें से कोई एक करे एवं कोष के हित लाभ का उपार्जन, उपभोग, निलम्बन एवं समपहरण के विषय में विनियम बना सकेगा, प्रबंधन एवं कार्यप्रणाली के संबंध में जैसा कि समय-समय पर उपयुक्त समझे विनियमों में परिवर्तन करें परन्तु ऐसा विनियम समय-समय पर प्रभावशील वैधानिक अधिनियम या कोई नियम या समय-समय पर प्रकाशित कोई नियम का उल्लंघन न करें. प्रत्येक परिवर्तन रद्द किया जाना अथवा नए विनियम या विनियमन जब तक अन्यथा प्रस्ताव में उल्लेखित न हो, प्रस्ताव की तिथि से प्रभावशील होगा. विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 79 सी के अंतर्गत बनाया गया विनियमन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त प्रभावी होगा. इन विनियमन के अधीन किसी सदस्य जो अभिदान करता है, पर कोई ऐसा नया विनियम बंधनकारी होगा.

25. न्यास बोर्ड को भंग करना :—
न्यास छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के साथ सहविस्तारी होगा एवं यदि किसी कारणों से या किसी विधान के क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भंग किया जाता है अथवा किसी निकाय या संस्था को संलग्न अथवा हस्तान्तरण किया जाता है तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भविष्य निधि न्यास नये निकाय में सम्मिलित हो जाएगा.

किसी भी न्यासी का निधि पर अथवा न्यास के निवेश पर कोई भी अधिकार, हित या स्वत्व नहीं रहेगा और वह किसी भी राशि का आहरण या उपयोग स्वयं के हित हेतु नहीं कर सकेगा.

मण्डल के आदेशानुसार
सही/-
(शरतचन्द्र)
सचिव,
छ. रा. विद्युत मण्डल, रायपुर.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

भविष्य निधि न्यास नियम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के सेवा में आए व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूं/नहीं हूं.

(ए) कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हूं.

(बी) छूट प्राप्त स्थापना के निजी भविष्य निधि का सदस्य/योजना की कण्डिका 79 के अंतर्गत छूट स्वीकृत स्थापना का सदस्य एवं परन्तु इस प्रकार की छूट/शिथिलता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बना रहा/हो.

(सी) मैं मेरे पूर्व नियोक्ता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का सदस्य हूं तथा मेरा खाता क्रमांक .... है, जहां मैं सेवा में .... को आया था.

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि मैंने अपने खाता में जमा पूर्ण राशि का आहरण नहीं किया है.

पुन: मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खाते में जमा .... रु. का आंशिक आहरण/आहरण नहीं किया है.

हस्ताक्षर अथवा कर्मचारी के बाएं/
दाहिने अंगूठे का निशान

मैं छ. रा. वि. मं. की सेवा में .... को .... (पद) पर .... (विभाग) में आया.

दिनांक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

भविष्य निधि न्यास नियम

छूट प्राप्त एवं छूट नहीं प्राप्त स्थापना के लिए नामांकन एवं घोषणा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भविष्य निधि विनियमन के अंतर्गत आवेदन एवं नामांकन प्रपत्र
[कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की कण्डिका 61 (1)]

1. नाम (बड़े अक्षरों में) ....
2. पद ....
3. जन्मतिथि ....
4. खाता क्रमांक ....

मेरी मृत्यु उपरान्त छ. रा. वि. मं. भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा राशि को प्राप्त करने हेतु नीचे दर्शाए अनुसार व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित/पूर्व के मेरे द्वारा किए नामांकन को निरस्त कर व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता हूं.

नामिती/नामितियों का नाम (यदि नामिती अवयस्क होने पर नामिती से संबंध एवं संरक्षक का नाम व पता दर्शाया जाए)	पता	नामिती का संबंध	नामिती की आयु	प्रत्येक नामितियों को भुगतान की जाने वाली संचित राशि का अंश

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा परिवार* नहीं है एवं इसमें इसके पश्चात् परिवार प्राप्त करने पर उक्त नामांकन निरस्त माना जावे.
2. प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे माता/पिता मुझ पर आश्रित है/आश्रित नहीं है.

* जो लागू न हो उसे काट देवें

हस्ताक्षर अथवा अभिदाता के
दाहिने/बाएं अंगूठे का निशान.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

Raipur, the 24th October 2001

No. SECY/CSEB/5269.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) read with clause (k) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (LIV of 1948) the Chhattisgarh State Electricity Board has decided to make the following regulations for the purpose of establishing and maintaining General Provident Fund Trust for the benefit of its employees.

THE CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GENERAL PROVIDENT FUND REGULATIONS 2001

1. **Short Title :—** These regulations shall be called the "CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GENERAL PROVIDENT FUND REGULATIONS".

2. **Application :—**These rules shall apply to all the permanent and regular employees of Chhattisgarh State Electricity Board. These rules shall also apply to the employees borne on work charge establishment who shall opt for General Provident Fund within a period of one month from the date of appointment. This rules shall also apply to the work charge employees on roll of Chhattisgarh State Electricity Board who have given their options to be governed by these rules. These shall not apply to the employees on Work Charge Establishment and NMR employees who will be governed by the Provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These shall be deemed to have been made applicable w.e.f. the date of establishment of the Chhattisgarh State Electricity Board.

3. **Definition :—**
In these rules unless there is any thing repugnant to the subject in context :—

(a) Board means Chhattisgarh State Electricity Board and includes assigns/transferee or successor in short referred as CSEB.

(b) "Employer" means the Chairman of the Chhattisgarh State Electricity Board or any other officer authorized to act on behalf of CSEB or to whom any power is delegated.

(c) "Employee" means any person who is employed for wages in any kind of work manual or otherwise, in or in connection with the work of the establishment and who gets his wages from the employer but does not include.

(i) Employees of the contractor.

(ii) Persons engaged on/work charge establishment and NMR to whom the EPF Act, is applicable.

(iii) Persons who have opted for joining or continuing the membership under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions. Act, 1952.

(iv) Persons who have attained the age of superannuation.

(d) **Emoluments :—**Emoluments means (Pay+D.A.) sterling overseas pay, calculated at such rate of exchange as the Board may prescribe in this behalf, personal pay, additional pay, technical or staff pay, but does not include allowances of any other kind. It include any remuneration of the nature of pay paid in respect of foreign service.

(v) A trustee of the Board may resign his office by letter in writing addressed to the Chairman. Board of trustees and his office shall fall vacant from the date on which his resignation is accepted by Board of Trustees.

(vi) The Board of Trustees may remove from office any trustee of the Board, if found to have been indulged in any activity against the interest of the Board or it's beneficiaries.

But no such Trustee shall be removed from office unless reasonable opportunity is given to such trestee and the body whom he represents of making any representation against the proposed action.

(vii) If a Trustee is unable to attend any meeting of the Board of Trustees, he may by a written instrument signed by him addressed to the Chairman of the Board for leave of absence.

(viii) The vacancy so caused in the Board shall be filled in accordance with the provisions of Rule above and on every such appointment fund shall vest in the continuing and new Trustees. Such Trustees shall hold the office upto the end of the terms of the other Trustees of the Board.

7. **Trustees leaving India :—** Before a Trustee leaves INDIA.

(a) He shall intimate to the Chairman of the Board of Trustees a date of his departure from and expected return to India.

(b) If he intends to absent himself for a period longer than six months he shall tender his resignation.

(c) If any Trustee leaves India for a period of six months or more without intimation to the Chairman of the Board of Trustees he shall be deemed to have resigned from the Board of Trustees.

8. **Office and Staff :—**
The head office of the Board of Trustees shall be located at a place where the head office of the CSEB is located. A building for office, staff for the office, furniture, equipment, stationary and all other requirement shall be provided by CSEB. However, Secretary of the Board of Trustees is authorised to meet essential contingent expenses not exceeding Rs. 2000/- Board of Trustees however by resolution may increase this amount or sanction or provide expenditure of a higher amount for cogent reasons to be recorded.

9. **Control of the Fund :—**

(a) The Board of Trustees shall have control of the fund and shall delegate powers to the Trustee or official of the establishment for performance of various function on its behalf under these rules. The Board shall also decide all differences and disputes which may arise under these rules either as to the interpretation thereof or as to the right and obligations of the establishment and/or of the members and the decision of the majority of the Trustees shall be in all cases final and binding on all the parties concerned. In the event of un-equality of votes the Chairman shall have casting vote. If any such decision of the Board be deemed prejudical to the interest of the members the matter shall be referred to the Chairman of CSEB whose decision in the matter shall be final and binding.

10. **Functioning of the Board of Trustees administration of the Fund :—**

(a) The Board of Trustees shall maintain proper accounts of its income and expenditure, which will be audited by auditor of the CSEB as well as Accountant General of the State or in any other manner deemed fit by the Board of Trustees subject to approval of the CSEB.

(b) The Board of Trustees by resolution may decide to invest the amount so available with the fund in Government securities to yield maximum interest. Trust may by resolution decide a loan to CSEB also subject to the condition that CSEB shall give interest at a rate of 1% more than rate of interest on which loan is sanctioned to CSEB by the nationalized banks and on such other conditions as may be imposed by the Board of Trustees and in particular a condition about repayment of loan.

(c) CSEB shall provide staff for maintenance of account and running of the office of the Board of Trustees including expenses required by the Board of Trustees for its proper functioning. The staff shall be paid employees of CSEB.

(d) All investments will be in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Provident Fund Trust.

(e) If necessary the Board of Trustees may obtain exemption from income tax authorities on the interest earned by the trust.

(f) The Board of Trustees shall be competent to frame its bye-laws rules for the day to day discharge of their duties, functions maintenance of accounts and other relevant and incidental matters in accordance with these regulations.

(g) All payments towards the payment of PF or Part there of to an employee shall be duly made from and out of the fund in accordance with these regulations and other rules/regulations governing the CSEB.

(h) To get the Chhattisgarh State Electricity Board Provident Fund Trust duly registered and incorporated under relevant laws of the state, the Secretary or any other Member of the Board of Trustees may by resolution be authorised to sign, execute all documents, appointment of advocate or to do anything that may be deemed necessary in this respect.

(i) The secretary to the Board of Trustees, elected under these regulations, shall be competent to enter into all correspondence relating to the management of the fund and shall sign and issue necessary receipt for any money received into the fund and maintain accounts thereof. The Secretary may be authorized to meet contingent expenses not exceeding Rs. 2,000/- in a month. The Board of Trustees may approves or sanction expenditure of larger sum in the interest of the Trust.

(j) Suggest amendment in the regulations as and when deemed necessary, provided that the Secretary shall, in the notice of the meeting specifically mention a brief note on the proposed agenda. The amendment when passed by the Board of Trustees shall be forwarded to the Chairman CSEB to take necessary steps to amend these regulations suitably.

(k) To appoint/nominate officers to receive declaration forms in form "A", nomination in form "B".

(l) Board of Trustees shall accept past provident fund accumulation of an employee who is already a member of any PF Scheme with his previous employer and joins the service of CSEB. On his admission as part of this PF his accumulation shall stand credited to his account.

(m) If an employment of the member ceases and he joins any other establishment Board of Trustees shall transfer the amount of accumulation standing to the credit of the member in the fund to the credit of his account with new employer.

(n) If the Board of Trustees is satisfied that the money as drawn by the member as an advance or loan from the fund has been utilized for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal, withholding or withdrawal of the money, the amount in question, shall with interest forthwith be repaid or paid, as the case may be, by the subscriber to the fund, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one sum from the emoluments of the subscriber, even if he be on leave. If the total amount to be repaid or paid, as the case may be, be more than half the subscriber's emoluments recoveries shall be made in monthly installments as may be fixed by the Board of Trustees.

11. (a) **Meetings :**—The Board of Trustees shall meet at such place and time as may be decided by the Chairman, meeting of the Board of Trustees shall be held once in every quarter. Provided that if the Chairman is of opinion that a decision in any particular matter can not be delayed till the next meeting of the Board, the matter may be circulated to the Trustees for decision, and any decision by majority votes taken would have the same validity as that of a resolution passed in a meeting and shall be recorded in Minutes Book. Provided, however, that any decision so taken shall be placed before the Board of the next meeting for confirmation.

(b) **Notice of Meeting :**—Notice of not less than 15 days from the date of meeting containing the date, time and place of every ordinary meeting together with an agenda of business to be conducted at meeting shall be dispatched by Registered Post or by special messenger to each Trustee. Provided that when the Chairman calls a meeting for considering any matter which in his opinion is urgent.

notice giving such reasonable time as he may consider necessary shall be deemed sufficient.

(c) **Quorum :—**

(i) At any meeting of the Board of Trustees, four Trustees two representing the Employees and the other representing the Board shall be a quorum. In absence of Chairman the members of the Board of Trustees present can elect a Chairman from amongst them for the meeting.

(ii) All decisons of the Board of Trustees shall be taken by majority and incase of a tie the Chairman of the Board of Trustees shall have a casting decision to arrive at majority.

(iii) The decision of the Board of Trustees shall be recorded in a minute book maintained for the purpose.

(iv) Minutes of the meeting of Board of Trustees shall be recorded in a minute book and signed by the Chairman and all the Trustees attending meeting, the minutes will also include any note of dissent expressed by a member of the Board of Trustees. The minutes shall be circulated to all the members by the Secretary of the Board of Trustees within 7 days of the date of meeting and confirmed in the next meeting.

(v) In absence of the quorum a meeting shall be adjourned and may be held after half an hour no quorum will be necessary for an adjourned meeting. But no agenda involving finance shall be discussed and decided in an adjourned meeting, it will be essential to decide such matter in a normal meeting of quorum as per rule 11 (c) above.

12. Membership :—

(a) Every permanent/regular employee of the Board including employees for a fixed term contract except work charge and NMR employees shall be eligible to become members and subscribe to the fund under these regulations. Employees who have opted for service in CSEB or have been transferred from MPEB or any other department of the Govt. of M. P. or Chhattisgarh shall also be eligible to become membes of the fund and subscribe to the fund. A person joining the services of the CSEB shall furnish a declaration in form A to the officer authorized in this regard by the Board of Trustees.

(b) **Nomination :—**Every member shall as soon as after joining the fund make nomination in form "B" conferring the right to receive the amount that may stand to his credit in the fund in the event of his death before the amount standing to his credit has become payable. He may nominate one or more persons or distribute the amount to respective nominees. Member shall be free to change nomination by a written notice to the Trustees through proper channel but ordinarily this change will not be permitted more than 2 times during the tenure of his service. This may however be relaxed by the Board of the Trustees under special circumstances.

Explanation :—

(a) The employees appointed on probation if confirmed shall be eligible and will become member of the fund from the date of his first appointment.

(b) Employee appointed temporarily but made permanent with retrospective effect will be eligible form the date he has been made permanent and shall be required to pay his contribution from the date of permanency.

(c) Every employee becoming a member shall remain and continue to be a member until he attains the age of superannuation or ceases to be in employment for any reason whatsoever.

(d) The Board by resolution may decide to cover any other category of employees and take steps for a suitable amendment in these regulations.

13. Contribution by Members :—

(i) Every employee becoming a member of the fund shall subscribe to the fund a sum equal to 8.33% of his monthly Basic Pay + D.A. (including additional Pay or D. A.).

(ii) The employee may contribute such higher sum as he may desire but not exceeding 30% of his basic Pay + D. A. (including additional Pay + D.A.). The higher rate may be varied at the beginning of the year by a written intimation of his desire but in any case this higher rate will not exceed 30%.

(iii) The employees subscription as fixed by him shall be recovered by deduction at time of drawal of pay or leave salary as the case may be.

14. Accounts :—

(a) Every member of the fund shall be allotted account number and account shall be kept by the Board of Trustees in the name of each subscriber member, in which shall be entered.

(i) Subscriber's subscription.

(ii) Interest earned during the year.

(iii) Advance if any made to the member out of the fund & repayment towards advances if made by the member.

(b) Every member shall be given an annual statement of account after close of the financial year within 4 months of close of the accounting year i.e. 31st March and discrepancy if any noticed by the member must be intimated to the Trustee of Board within 2 months of the receipt of the annual statement. The Board of Trustees will take immediate steps to verify and rectify the mistake if any and intimate the result thereof to the member.

15. BanK Account :—The Board of Trustees shall open an account in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Provident Fund Trust in any one or more nationalized banks and the account shall be operated under the joint signatures of Secretary of the Board of Trustees and one member as may be decided by resolution. The Board of Trustees shall give two names to be signatories alongwith Secretary of the Board of Trustees.

16. Trust to be body Corporate :—The trust shall be a body corporate and shall be registered under the relevant laws applicable in the State of Chhattisgarh and shall sue or be sued in the name of Chhattisgarh State Electricity Board Provident Fund Trust. The trust may also initiate legal proceedings against the CSEB or any other person/ institution for enforcement of rights available under these regulations or any other law. The juri diction for all such matters shall be courts having territorial jurisdiction at Raipur.

17. Rate of Interest :—

(i) Board shall credit interest at a rate which will not be lesser than the rate payable under the EPF scheme once a year to the amount standing to each members's credit at the end of financial year i.e. 31st March each year.

(ii) Interest shall be payable on the amount till the end of the month preceding that in which payment is made to a member either in part or in full.

(iii) No interest will be payable by the employee in respect of loan taken by him from his fund and interest will be payable by the Board on the deposited amount after deducting the loan amount/part payment.

18. Advance Loan from the Fund :—

(1) The Board of Trustees may on an application from a member sanction from the amount standing to credit of the member in the fund for any or more of the reasons mentioned below.

(a) Repayment fully or partly of any loan obtained by the member from any housing board, co-operative society development authority or any nationalized bank.

(b) To procure a house of the member in his or his wife's name.

(c) To meet expenses in-connection with prolonged illness of the applicant or any person actually dependent on him on production of adequate medical proof by the civil surgeon of competent authority of Government Hospital.

(d) To meet the overseas passage for reasons of health or education of the applicant or person actually dependent on him.

(e) To pay out...................expenses on a scale appropriate on the applicants status in connection with marriage, funeral or ceremonies which by his religion it is incumbent on him to perform.

(f) To purchase a vehicle suitable for his status.

(g) Any other special or abnormal reasons to the satisfaction of the Board of the Trustees.

(2) An application for advance/loan shall be entertained only after the member has put in 5 year service either in CSEB or MPEB or both.

(3) The amount so sanctioned shall not exceed 75% of the balance at the credit of the member.

19. Recovery of Loan Advance :—

(i) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly installments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscribers so elects, or in any case more than twenty four. A subscriber may, at his option, make payment in a smaller number of installments than that prescribed. Each installment shall be a number of whole rupees.

(ii) Recovery shall be made in the manner provided for the realization of subscriptions. An installment towards an advance, should be recovered only when a subscriber draws full duty pay in any month. No recovery shall be made when the member is on leave without pay or under suspension unless he gives his consent in writing to deduct the part of subsistance allowance towards payment of loan/advance.

(iii) If more than one advance has been made to a subscriber each advance shall be treated separately for the purpose of recovery.

(iv) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed the whole or balance of the amount withdrawn shall be repaid by the subscriber to the fund or in default be ordered by the Board of Trustee to be recovered by deduction from the emoluments of the subscirber by installments or otherwise, as may be directed.

(v) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made to the account of the subscriber in the fund.

20. Part Final Payment :—No part final payment shall be made unless the member has put in 15 years service in CSEB or MPEB or both. The quantum of part and final payment shall not be more than 75% of the balance of the member.

21. Protection Against Attechment :—

(a) The amount standing to the credit of any member in the fund shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any Decree or order of any court in respect of any debt or liability incurred by the member.

(b) Any amount standing to the credit of a member in the fund at the time of his death and payable to his nominee under these rules shall, subject to any deduction authorized by the said rules, vest in the nominee and shall be free from any debt or other liability incurred by the deceased or the nominee before the death of the member.

22. Payment of Provident Fund :—The amount of provident fund accumulations together with interest shall be payable in whole to the employees after adjusting loan/advance thereof, if any, outstanding against him in the following circumstances :—

(a) Superannuation/retirement.

(b) When the subscriber quits the service.

(c) . On termination of employment by the employer except when the employee is dismissed on charge of misappropriation, dishonestly involving funds of the CSEB or this trust in which case trust may adjust whole or part of the amount involved in such misconducts on a request by the CSEB after giving the concerned employee an apportunity of being heard.

The concerned employees shall submit his application for payment of provident fund dues to the Trust Board at least 15 days before the date of his superannuation or quiting the Board. Incase covered under class-C above the CSEB shall give a notice in writing to the Chairman, Trust Board. Trust Board shall arrange to pay the legal dues with interest standing on the credit of the employee concerned latest within 15 days of cessation of his employment or any reason whatsoever and give an account of his accumulations and interest and deductions if any. Incase of death of the subscriber before the amount standing to his credit has been paid the amount shall be payable to the nominee according to the Rule 12 (b). Incase of dispute between two nominees or the legal heir whose name has not been mentioned in the nomination form, the amount of provident fund shall be with held by the Trust Board till claimant submits succession certificate from the competent civil court having jurisdiction over the matter.

23. Transfer and Assignments for Bidden :—No member shall be entitled to transfer or assign whether by way of security or otherwise whatsoever his interest or any part thereof in the fund and no such transfer or assignment shall be valid.

24. Power to Alter Rules :— The CSEB shall have power to alter or abrogate these regulations or any of them and to make such other regulations with reference to the accrual, enjoyment, suspension and forfeiture of the benefits of the fund and the application of the disposal of the fund and otherwise in relation to the working and management thereof as it shall from time to time think fit provided such regulations do not infringe any statutory enactment from time to time in force or any rule from time to time published there under. Every alteration, abrogation or new regulation or regulations shall, unless otherwise stated in the resolution, have effect from the date of resolution. After publication in the Government Gazette as regulations made u/s 79/C Electricity Supply Act, 1948. Any such new regulation shall be binding upon any member who shall have subscribed under these regulations.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

PROVIDENT FUND TRUST RULES

NOMINATION AND DECLARATION FORM FOR UNEXEMPTED/EXEMPTED ESTABLISHMENT

Application and Nomination Form under the CSEB Provident Funds Regulations

[Paragraph and 61 (1) of the Employees' Provident Fund Scheme 1952]

1. Name (in block letters)
2. Designation
3. Date of Birth
4. Account No.

I hereby nominate the person(s)/cancel the nomination made by me previously and nominate the person(s) mentioned below to receive the amount standing to my credit in the CSEB Provident Fund in the event of my death.

Name of Nominee/Nominees (if the nominee is a minor the relationship of the nominee & Name and address of Guardian may be indicated)	Address	Nominee's Relationship	Age of Nominee	Total amount of share of Accumulation to be paid to each nominee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1. Certified that I have no family and should I acquire a family hereinafter the above nomination should be deemed as cancelled.
2. Certified that my father/mother is/are dependent/not dependent upon me.

* Strike out which ever is not applicable.

Signature or right/left
Thumb impression of the subscriber.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल डंगनिया, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक सचिव/छराविमं/61.—मण्डल ने विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (LIV of 1948) की धारा 79 की कंडिका (सी) सहपठित कण्डिका (के) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक सचिव/छराविमं/5269 दिनांक 24-10-2001 द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल सामान्य भविष्य निधि विनियमन 2001 बनाया है". न्यास मण्डल के गठन की विद्यमान कठिनाइयों के निराकरण हेतु उपरोक्त विनियमन की केवल कण्डिका 5, 6 एवं 11 (सी) (i) के संशोधन का छराविमं ने निर्णय लिया है, जो अब से निम्नानुसार पढ़ी जावेगी:—

5. **न्यास मण्डल की संस्थापना :—**

(ए) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, नीचे दर्शाए अनुसार दो वर्ष के लिए एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य के न्यास मण्डल की स्थापना करेगा. न्यास का अध्यक्ष, अध्यक्ष छराविमं द्वारा नामांकित किया जाएगा जो कि छराविमं का एक सदस्य होगा. न्यास मण्डल का अध्यक्ष छराविमं के वरिष्ठ अधिकारियों में से अपनी चार सदस्यीय टीम का नामांकन करेगा. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अवैतनिक सदस्य होंगे. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अपने मध्य से न्यास मण्डल के सचिव का चयन करेंगे.

(बी) न्यास के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा न्यास मण्डल प्रस्ताव पारित कर इसे अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ा सकेगा. न्यास मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण होने पर नए न्यासियों की नियुक्ति उपरोक्त नियमानुसार की जाएगी. बाहर होने वाले न्यासी, न्यासियों के रूप में पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे.

6. **न्यासियों की सदस्यता की समाप्ति एवं पुनर्स्थापना :—**
न्यास के सदस्य न्यास मण्डल के सदस्य नहीं रहेंगे यदि,

(i) छ. रा. वि. मं./राज्य शासन के कर्मचारी नहीं रहने पर.

(ii) न्यास मण्डल के अध्यक्ष की अनुमति के बिना न्यास मण्डल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, जिसे. अनुपस्थिति के युक्तियुक्त कारणों से यदि न्यास मण्डल संतुष्ट हो तो न्यासी के पद पर पुनर्स्थापित कर सकेगा.

(iii) न्यास मण्डल का न्यासी लिखित रूप से मान्य कारण दर्शाते हुए अध्यक्ष को संबोधित त्याग-पत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकता है. न्यासी का पद एवं उनका कार्यालय न्यास मण्डल द्वारा त्याग-पत्र स्वीकृति की तिथि से रिक्त होगा.

(iv) न्यासी को उसके पद से न्यास मण्डल हटा सकता है, यदि न्यासी न्यास मण्डल अथवा न्यास के हितग्राहियों के हितों के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है. परन्तु किसी भी ऐसे न्यासी को बिना उचित अवसर दिए उसके पद से हटाया नहीं जा सकेगा.

(v) यदि न्यासी न्यास मण्डल के किसी भी बैठक में उपस्थिति के लिए असमर्थ हो, वह अनुपस्थिति के संबंध में न्यास मण्डल के अध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित आवेदन देगा.

(vi) न्यास मण्डल न्यासी की रिक्तता को उपरोक्त नियम के प्रावधानों के अनुसार भरेगा तथा ऐसे प्रत्येक नियुक्तियों में कोष की निरन्तरता निहित रहेगी. नए न्यासी का कार्यकाल अन्य न्यासियों के कार्यकाल तक रहेगा.

कण्डिका 11 (सी) (i)—गणपूर्ति :—
न्यास मण्डल के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे तथा टाई की स्थिति में अध्यक्ष का मत बहुमत के लिए निर्णायक होगा. न्यास मण्डल के किसी भी बैठक के लिए अध्यक्ष को सम्मिलित कर, चार सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदस्यगण अपने बीच से बैठक के लिए अध्यक्ष चुनेंगे.

आदेशानुसार
सही/-
सचिव,
छ. रा. वि. मं., रायपुर.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002/442.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना पत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

स. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	तहसील (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	मंदिर हसौद	73	रायपुर	646, 647 650.	2.66 एकड़ निजी भूमि.	श्री एस. पी. मायनिंग इंडस्ट्रीज के नाम से दिनांक 30-9-91 से 29-9-2001 तक स्वीकृत था. लीज अवधि समाप्त होने पर लीज स्वमेव निरस्त हो गया.
2. पर	मंदिर हसौद	73	रायपुर	729, 740	1.00 एकड़	मे. रायल मिनरल प्रो. श्री चन्द्रशेखर शर्मा पंचशील नगर रायपुर के नाम से दिनांक 18-12-96 से 17-12-2001 तक स्वीकृत था. लीज अवधि समाप्त होने लीज स्वमेव निरस्त हो गया.
3.	मंदिर हसौद	73	रायपुर	679, 680, 681.	4.15 एकड़ निजी भूमि.	श्रीमती रंजीत कौर खनूजा के नाम पर दिनांक 13-8-91 से 12-8-2001 तक स्वीकृत था. लीज अवधि समाप्त होने पर लीज स्वमेव निरस्त हो गया.

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2002

क्रमांक क/ख.लि./2002/452.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना पत्थर के लिये सूची में दर्शाये गये क्षेत्र राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन (तीस दिन) के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र के चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

स. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प.ह.नं. (3)	तहसील (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	खपरीडीह	156/18	कसडोल	154/(क)	2.60 एकड़ शासकीय भूमि.	श्री सुन्दर साय को दिनांक 20-3-97 से 19-3-2002 तक स्वीकृत थी. लीज अवधि समाप्त होने से.
2.	तर्रा	82	रायपुर	955	0.62 एकड़ शासकीय भूमि.	श्री ओम प्रकाश बघेल को दिनांक 25-3-96 से 24-3-2001 तक स्वीकृत थी. लीज अवधि समाप्त होने से.
3.	धनसुली	79	रायपुर	733, 736, 738.	4.95 एकड़ निजी भूमि.	श्री अमृत लाल निहाल को दिनांक 29-1-92 से 28-1-2002 तक स्वीकृत थी. लीज अवधि समाप्त होने से.

(जे. मिन्ज)
अपर कलेक्टर
रायपुर.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

भविष्य निधि न्यास नियम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के सेवा में आए व्यक्ति द्वारा घोषणा-पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री .... सत्य निष्ठा से घोषणा करता/करती हूं/नहीं हूं.

(ए) कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य हूं.

(बी) छूट प्राप्त स्थापना के निजी भविष्य निधि का सदस्य/योजना की कण्डिका 79 के अंतर्गत छूट स्वीकृत स्थापना का सदस्य एवं परन्तु इस प्रकार की छूट/शिथिलता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बना रहा/हो.

(सी) मैं मेरे पूर्व नियोक्ता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का सदस्य हूं तथा मेरा खाता क्रमांक .... है, जहां मैं सेवा में .... को आया था.

मैं आगे यह घोषणा करता हूं कि मैंने अपने खाता में जमा पूर्ण राशि का आहरण नहीं किया है.

पुन: मैं घोषणा करता हूं कि मेरे खाते में जमा .... रु. का आंशिक आहरण/आहरण नहीं किया है.

हस्ताक्षर अथवा कर्मचारी के बाएं/
दाहिने अंगूठे का निशान

मैं छ. रा. वि. मं. की सेवा में .... को .... (पद) पर .... (विभाग) में आया.

दिनांक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

भविष्य निधि न्यास नियम

छूट प्राप्त एवं छूट नहीं प्राप्त स्थापना के लिए नामांकन एवं घोषणा प्रपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल भविष्य निधि विनियमन के अंतर्गत आवेदन एवं नामांकन प्रपत्र
[कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की कण्डिका 61 (1)]

1. नाम (बड़े अक्षरों में) ....

2. पद ....

3. जन्मतिथि ....

4. खाता क्रमांक ....

मेरी मृत्यु उपरान्त छ. रा. वि. मं. भविष्य निधि में मेरे खाते में जमा राशि को प्राप्त करने हेतु नीचे दर्शाए अनुसार व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित/पूर्व के मेरे द्वारा किए नामांकन को निरस्त कर व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामांकित करता हूं.

नामिती/नामितियों का नाम (यदि नामिती अवयस्क होने पर नामिती से संबंध एवं संरक्षक का नाम व पता दर्शाया जाए)	पता	नामिती का संबंध	नामिती की आयु	प्रत्येक नामितियों को भुगतान की जाने वाली संचित राशि का अंश

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा परिवार* नहीं है एवं इसमें इसके पश्चात् परिवार प्राप्त करने पर उक्त नामांकन निरस्त माना जावे.

2. प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे माता/पिता मुझ पर आश्रित है/आश्रित नहीं है.

* जो लागू न हो उसे काट देवें

हस्ताक्षर अथवा अभिदाता के
दाहिने/बाएं अंगूठे का निशान.

CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD

Raipur, the 24th October 2001

No. SECY/CSEB/5269.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) read with clause (k) of Section-79 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (LIV of 1948) the Chhattisgarh State Electricity Board has decided to make the following regulations for the purpose of establishing and maintaining General Provident Fund Trust for the benefit of its employees.

THE CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GENERAL PROVIDENT FUND REGULATIONS 2001

1. **Short Title :—** These regulations shall be called the "CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD GENERAL PROVIDENT FUND REGULATIONS".

2. **Application :—**These rules shall apply to all the permanent and regular employees of Chhattisgarh State Electricity Board. These rules shall also apply to the employees borne on work charge establishment who shall opt for General Provident Fund within a period of one month from the date of appointment. This rules shall also apply to the work charge employees on roll of Chhattisgarh State Electricity Board who have given their options to be governed by these rules. These shall not apply to the employees on Work Charge Establishment and NMR employees who will be governed by the Provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These shall be deemed to have been made applicable w.e.f. the date of establishment of the Chhattisgarh State Electricity Board.

3. **Definition :—**
In these rules unless there is any thing repugnant to the subject in context :—

    (a) Board means Chhattisgarh State Electricity Board and includes assigns/transferee or successor in short referred as CSEB.

    (b) "Employer" means the Chairman of the Chhattisgarh State Electricity Board or any other officer authorized to act on behalf of CSEB or to whom any power is delegated.

    (c) "Employee" means any person who is employed for wages in any kind of work manual or otherwise, in or in connection with the work of the establishment and who gets his wages from the employer but does not include.

        (i) Employees of the contractor.

        (ii) Persons engaged on/work charge establishment and NMR to whom the EPF Act, is applicable.

        (iii) Persons who have opted for joining or continuing the membership under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions, Act, 1952.

        (iv) Persons who have attained the age of superannuation.

    (d) **Emoluments :—**Emoluments means (Pay+D.A.) sterling overseas pay, calculated at such rate of exchange as the Board may prescribe in this behalf, personal pay, additional pay, technical or staff pay, but does not include allowances of any other kind. It include any remuneration of the nature of pay paid in respect of foreign service.

(e) **"Family" means :—**

(i) In the case of a male member, the wife, children whether married or unmarried, deceased sons, widow and children and dependent parents of the member.

Provided that if a member proves that his wife has ceased under the personal law governing him or the customary law of the community to which spouses belong to be entitled to maintenance, she shall no longer be deemed to be a part of the members family for the purposes of these rules, unless the member subsequently intimates by express notice in writing to the Board of that she shall continue to be so regarded, and

(ii) In the case of a female member, her husband, her children whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased sons, widow and children.

Provided that if a member, by notice in writing to the Board of Trustees, expresses her desire to exclude her husband from the family, the husband and his dependent parents shall no longer be deemed to be a part of the members family for the purpose of these rules unless the member subsequently cancels in writing any such notice.

Explanation :—In either of the above two cases, if the child of a member has been adopted by another person and if, under the personal law of the adopter, adoption is legally recognizeds, Such a child shall be considered as excluded from the family of the member.

(a) "Children" means legitimate children and includes adopted children if the Board of Trustees is satisfied that under the personal law of the member adoption of a child is legally recognized.

(f) "Fund" means the Provident Fund constituted under these regulations, and shall include all money from time to time held by or to the account of the Board of Trustee in pursuance of the provisions herein contained and shall include any investement for the time being made with such money.

(g) "Member" means any employee from Class-I to Class-IV cadre who is required, under these rules to subscribe to the fund.

(h) "Trustees" means and include the Trustees of the Fund for the time being.

4. Constitution of the fund :—
The fund shall be created in the name of "CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD EMPLOYEES PROVIDENT FUND". The fund shall vest in and be administrated by a Board of Trustees constituted under a Trust which shall be registered and shall be irrevocable save with the consent of all the beneficiaries and no money belonging to the fund in the hands of Board of Trustees shall be recoverable by the employer under any pretext whatsoever nor shall the employer have any lien on charge or any description of the same save as herein provided.

(a) **Sources of Fund :—** The fund shall be established by the following sources.

(i) Rs. ....initial contribution deposited by MPEB/CSEB towards contribution of members already deposited while in service with MPEB/CSEB/Other Dept. whether the amount so deposited and the GPF amount has or has not been transferred to CSEB.

(ii) Rs. ....towards deposit of GPF by CSEB in respect of members from the date of establishment of Board/Service with CSEB till the establishment of this fund.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा, छ. ग.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 जनवरी 2002

क्रमांक 809 क/ख. लि./2002/.—मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशन होने के 30 दिवस के पश्चात् खनिज रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	खसरा नंबर (4)	रकबा नंबर (5)	खनिज (6)	विवरण (7)
1.	जांजगीर चांपा.	पामगढ़	सुकुलपारा	207/1	2.08	चूना पत्थर	शासकीय भूमि
				207/2	0.72	—"—	—"—
				207/3 क	0.38	—"—	—"—
				207/3 ख	0.22	—"—	—"—
				209/1	1.20	—"—	—"—
				212/1	3.60	—"—	—"—
				212/2 क	0.90	—"—	—"—
				212/2 ख	0.48	—"—	—"—
				212/2 ग	0.12	—"—	—"—
				212/2 घ	1.10	—"—	—"—
				208/1	0.07	—"—	—"—
				208/2 क	0.12	—"—	—"—
				208/2 ख	0.10	—"—	—"—
				208/2 ग	0.05	—"—	—"—
2.	—"—	जांजगीर	औवराई कला	961/2	4.04	—"—	निजी

मनोज कुमार पिंगुआ
कलेक्टर,
जांजगीर-चांपा, छ. ग.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग
(खनिज शाखा)

दुर्ग, दिनांक 8 फरवरी 2002

क्रमांक 415/ख. लि. 2/खुलाघोषित/02.—मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के लिये निम्नांकित सारिणी में दर्शाया गया क्षेत्र, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन होने की दिनांक से 30 दिन पश्चात् उत्खनि पट्टे पर प्राप्त करने के लिये खुला घोषित किया जाता है. (आवेदन-पत्र के साथ वर्तमान का नक्शा/पांच साला खसरा प्रस्तुत किया जावे) (नियमानुसार क्षेत्र उपलब्ध होने पर ही स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी.

क्रमांक	ग्राम का नाम (प. ह. नं.)	तहसील	खनिज का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	पूर्व पट्टेदार का नाम/कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सिकोला (29)	पाटन	चूनापत्थर (गौणखनिज)	1220 भाग	1.40 हेक्टर	श्री शैलेष कुमार (दिनांक 29-3-2001) को पट्टा अवधि समाप्त)

आई. सी. पी. केसरी
कलेक्टर, दुर्ग.